



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 14, 2011/वैशाख 24, 1933

No. 253]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 14, 2011/VAISAKHA 24, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2011

सा.का.नि. 386(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2011 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2011

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन का न्यासी बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ.—(1) ये विनियम पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2011 कहलाएंगे।

(2) यह महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के अधीन आवश्यक केन्द्र सरकार से अनुमोदन के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रासंगिकता.—ये विनियम अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (क) में आने वाले पदों के साथ-साथ बोर्ड के अधीन अधिनियम की धारा 27 के अधीन सृजित सभी पदों पर लागू होंगे।

3. परिभाषा.—इन विनियमों में, जहाँ तक अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता न हो

(क) अधिनियम अर्थात् महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38)।

(ख) 'अनुरूप पद' अर्थात् पद जिसका कर्तव्य और उत्तरदायित्व का स्तर तथा वेतन स्तर को उन पदों के साथ तुलना किया जाना है, जिस पर चयन किया जाएगा।

(ग) 'किसी वर्ग अथवा पद से संबंधित नियोक्ता प्राधिकारी' अर्थात् पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम 1967 के अधीन उक्त वर्ग अथवा पद पर नियुक्ति देने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारी।

(घ) 'बोर्ड', 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष' और 'विभागाध्यक्ष' का अलग-अलग अर्थ है जैसाकि उन्हें अधिनियम के अधीन निर्धारित किया गया है।

(च) प्रथम श्रेणी पदों, द्वितीय श्रेणी पदों, तृतीय श्रेणी पदों और चतुर्थ श्रेणी पदों का समान अर्थ है जैसाकि उन्हें पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम 1967 के विनियम 4 में निर्धारित किया गया है।

- (छ) विभागीय पदोन्नति समिति का तात्पर्य है कि किसी वर्ग या पद पर पदोन्नति अथवा पुष्टि के लिए सिफारिश करने हेतु विनियम- 26 के अधीन समय समय पर बनाई गई समिति ।
- (ज) ' सीधी भर्ती ' अर्थात् सेवा चयन समिति द्वारा साक्षात्कार और/ अथवा प्रतियोगिता परीक्षा अथवा जांच के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति ।
- (झ) ' कर्मचारी ' अर्थात् बोर्ड का एक कर्मचारी ।
- (ञ) ' वर्ग ' अर्थात् अधिनियम की धारा 23 के अधीन तैयार किए गए और मंजूर किए गए कर्मचारियों की अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख किए गए वर्गों ।
- (ट) पुर्नग्रहणाधिकार का अर्थ है कि कोई कर्मचारी जो नियमित आधार पर पदासीन होते हुए अपने कब्जे के अधिकार को बनाए रखे, या तो तत्काल या समाप्ति की आवधि अथवा अनुपस्थिति की अवधि में, जिस पद पर वह नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो परिवीक्षाधीन हो । वशर्तकि नियमित पद पर कब्जे के अधिकार को इस शर्त पर बनाए रखा जाएगा यदि उस वर्ग में उपलब्ध पदों पात्र व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो तो कनिष्ठतम व्यक्ति को निचले वर्ग में प्रत्यावर्तित किया जाएगा ।
- (ठ) ' स्थायी कर्मचारी ' अर्थात् स्थायी पद पर वास्तविक रूप से नियुक्त कर्मचारी ।
- (ड) ' अनुसूची ' अर्थात् इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची ।
- (ढ) ' अनुसूचित जाति ' और अनुसूचित जनजाति ' का अलग अलग अर्थ है जैसाकि भारतीय संविधान की धारा- 366 के खंड (24) और (25) में निर्धारित किया गया है ।
- (ण) किसी वर्ग अथवा पद से संबंधित ' चयन सूची ' का अर्थ विनियम- 13 के अनुसार उस पद अथवा वर्ग के लिए तैयार किए गए चयन सूची ।
- (त) प्रावरण पद अर्थात् इन विनियमों के विनियम- 5 के अधीन घोषित किए गए पद ।
- (थ) ' सेवा चयन समिति ' अर्थात् सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और/अथवा साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु विनियम 12 के अधीन बनाई गई समिति ।

- (द) 'अस्थायी कर्मचारी' अर्थात् अस्थायी पद पर नियुक्त अथवा स्थायी पद पर स्थानापन्न अथवा बोर्ड की सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी ।

नियुक्ति की रीति:-

4. पदों पर सभी नियुक्तियां, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । नियुक्ति पदोन्नति या आमेलन अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सिधी भर्ती द्वारा किया जाएगा । पद के लिए निर्धारित मान दंड अथवा पात्रता को पूरा करनेवाले महा पत्तन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्तशासी निकाय, सरकारी कंपनी के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा । प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष है जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । विशेष परिस्थितियों में उसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

अनुसूची:-

5. नियुक्ति की रीति जैसे सिधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय पदोन्नति अथवा आमेलन अथवा प्रतिनियुक्त के मामले में विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित अर्हताएं, आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण, आवश्यक अनुभव, प्रवरण अथवा अप्रवरण पदों में वर्गीकरण तथा अन्य मामलों को प्रथम श्रेणी पदों के लिए इन विनियमों की अनुसूची में दर्शाया जाएगा । द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के मामले में नियुक्ति की रीति बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाई जाएगी । अनुसूची विभिन्न वर्गों में प्राधिकृत स्थायी तथा अस्थायी संख्या को दर्शाएगा जैसाकि महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 23 में प्रावधानों के अधीन तैयार किए गए कर्मचारियों की अनुसूची में दर्शाया गया है । महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर इस संख्या को बदला जा सकता है । सिधी भर्ती के लिए निर्धारित आवश्यक पात्रता अनुसूची के कालम-9 में उल्लिखित सीमा तक पदोन्नति के मामले में लागू होगी और पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची में निर्धारित कालम-12 के अनुसार होगा ।

विभागाध्यक्षों के मामले में केन्द्र सरकार और अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है और इन कारणों के लिए सिधी भर्ती/आमेलन/प्रतिनियुक्ति हेतु लिखित रिकार्ड रखा जाएगा जोकि निम्नवत है ।

- (क) 5 वर्ष तक जहाँ न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष या उससे अधिक तक निर्धारित और 3 वर्ष तक जहाँ न्यूनतम अनुभव 5-9 वर्ष तक निर्धारित किया गया है ।

(ख) अभ्यार्थी, जोकि पूर्व सैनिक यानेकि भारतीय रक्षा बल का पूर्व- कर्मचारी है और रक्षा बल में कम से कम 6 महीने तक निरंतर सेवा किया हो, के मामले में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित, रिक्त पद को भरने के लिए रक्षा बल में दी गई सेवा अवधि की सीमा तक के साथ 3 वर्ष जोड़ा जाएगा और युद्ध के समय मारे गए लोगों के आश्रितों और रक्षा बलों में उनके द्वारा एक निश्चित सीमा तक की गई सेवा के मामले में जहाँ रिक्ति को भरा जाएगा 1 वहाँ अनारक्षित रिक्ति मानी जाएगी ।

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों के मामले में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के मामले में केन्द्र सरकार अपने विवेक से कार्य अनुभव में भविष्य में छूट दे सकती हैं 1 यदि चयन की किसी स्तर पर उस समुदाय के अभ्यार्थियों जिनमें अपेक्षित योग्यता वाले अभ्यार्थी मिलने की संभावना न हो, जो पद उनके लिए आरक्षित हो, ऐसे मामले में केन्द्र सरकार अपने राय दे सकती है ।

रिक्तियों का सूची:-

6. प्रत्येक श्रेणी के लिए यह दर्शाते हुए कि उस रिक्ति को सिधी भर्ती या पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा से संबंधित सूची अनुरक्षित की जाएगी । अतः यदि कोई रिक्ति जोकि सिधी भर्ती के लिए आरक्षित है वो सिधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जाएगा । इसे पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है । आगे की रिक्तियों को सिधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा । पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में भी वही तरीका अपनाया जाएगा लेकिन उसे पदोन्नति पद्धति द्वारा नहीं भरा जाएगा ।

आरक्षण:-

7. (1) इसके अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं 1 इन विनियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति या सिधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सभी नियुक्तियों पर यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा ।

(2) इसके अंतर्गत पदों के आरक्षण के मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं जो अन्य पिछड़े वर्गों, भूत पूर्व सैनिकों, सैनिक कार्रवाई में मारे गए सैनिकों की आश्रितों, खिलाड़ियों और अपंगों की नियुक्तियों पर भी यथा आवश्यक संशोधन के साथ लागू होगा जो इस विनियम के अंतर्गत सिधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं 1

सिधी भर्ती के लिए राष्ट्रीयता, चरित्र, शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि :-

8. 1. किसी भी श्रेणी या पद पर सिधी भर्ती के लिए पात्रता क्रमशः होगी, अभ्यर्थी को निम्न कि अनुसार होना चाहिए ।
- (क) भारत का नागरिक हो अथवा
 - (ख) नेपाल का नागरिक हो अथवा
 - (ग) भूटान का नागरिक हो अथवा
 - (घ) तिब्बत का शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत में स्थायी रूप से बसने की इरादे से आया हो अथवा ।
 - (च) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या आफ्रीकान देशों जैसे पूर्वी केन्या, उगांडा, यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जाम्बिया मालावी, जायरे, इथिओपिया और विएतनाम आदि देशों से विस्थापित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने की इरादे से आया हो । बशर्तकि श्रेणी ' क ' से संबंध अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रीयता से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करेगा जोकि समय समय पर अध्यक्ष द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक होगा । जबकि आगे श्रेणी (ख), (ग), (घ) एवं (च) के मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में पात्रता का प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया हो ।

औरभी यह है कि किसी भी अभ्यर्थी के मामले में राष्ट्रीयता का प्रमाण अथवा पात्रता का प्रमाण आवश्यक हो, को अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है । केन्द्र सरकार द्वारा इसके पक्ष में जारी आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब, जोभी मामला हो, ऐसे मामलों में अस्थायी नियुक्ति एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी ।

(2) केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर उप विनियम (1) की आवश्यकताओं को अध्यक्ष परिवर्तित या समाप्त कर सकता है जब विशेष प्रकार के काम के लिए नियुक्ति की जाएगी और उचित अभ्यर्थी प्राप्त करना व्यवहार्य न हो जो इन विनियमों की मांगों को पूरा करा हो ।

(3) कोई भी व्यक्ति

क) जोकि किसी के साथ पत्नी जीवित रहते हुए भी विवाह संबंध बनाता है अथवा

ख) जोकि पत्नी जीवित रहते हुए भी किसी दूसरे के साथ विवाह किया है तो इस विनियम पर लागू किसी भी वर्ग अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

विभागाध्यक्षों के मामले में केन्द्र सरकार और अन्य मामलों में अध्यक्ष यदि संतुष्ट होते हैं कि उस व्यक्ति अथवा विवाह का अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत नियम के अधीन वह विवाह अनुमतियोग्य है और वैसे कार्य के लिए अन्य आधार भी हैं तो इस उप विनियम के परिचालन (प्रभाव) से उस व्यक्ति को छूट दे सकते हैं।

(4) अभ्यर्थी नियोक्ता प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा कि उसका चरित्र और पूर्ववृत्त उसे किसी वर्ग या पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त बनाता है। कोई अभ्यर्थी, जोकि नैतिक चरित्रहीनता से संबंधित अपराध के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया हो अथवा जिसे दिवालिया के रूप में मान लिया गया हो, को किसी वर्ग या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(5) मानसिक तथा शारिरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी शारिरिक विसंगति से मुक्त अभ्यर्थी बोर्ड के कर्मचारी के रूप में कर्तव्य निर्वाह में दखल दे सकता है। विभागाध्यक्षों के लिए केन्द्र सरकार और अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित वैसे चिकित्सा परीक्षा के बाद उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

(6) यदि अभ्यर्थी द्वारा विनियम के संपूर्ण अथवा किसी आवश्यकता को पूरा करने में या पूरा न करने में कोई प्रश्न उठता है तो विभागाध्यक्षों के मामले में केन्द्र सरकार तथा अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

सीधी भर्ती के लिए मौजूदा कर्मचारियों की मात्रता :-

9. जब सीधी भर्ती पर पदों के भरे जाने हेतु विज्ञापन दिया जाता है तो सेवारत कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं वशर्तकि उनके पास निर्धारित अर्हताएँ तथा अनुभव हों। इन मामलों में आयु सीमा लागू नहीं होगी।

रिक्तियों के लिए विज्ञापन :-

10. (1) सीधी भर्ती पर भरे जाने वाले तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों की रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया जाएगा। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाते तो रिक्तियों को राज्य में प्रकाशित समाचारपत्रों में विज्ञापित किया जाएगा। सीधी भर्ती पर भरे जाने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी पदों के बारे में सूचना राष्ट्रीय तथा स्थानीय समाचारपत्रों और/अथवा रोजगार समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) पद के लिए अधिसूचित/विज्ञापन में अर्हता, अनुभव तथा आयु के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि महीने का पहला दिन होगा अन्यथा जैसा निर्धारित हो।

विशेष मामलों में लिखित तथा कुशलता परीक्षा :-

11. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिखित अथवा कुशलता परीक्षा अथवा दोनों के आयोजन और परीक्षा लेनेवाले अधिकारी के चयन तथा परीक्षा लेने की रीति एवं उससे संबंधित अन्य व्योरो पर निर्णय लिया जाएगा। यह नियोक्ता प्राधिकारी के अधिकारक्षेत्र है कि वह लिखित अथवा कुशलता परीक्षा कराने के लिए परामर्शदाता या परामर्शदायी संस्था को काम में लगाए।

सेवा चयन समिति:-

12. (1) सिधी भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आयोजन के लिए उप विनियम- (2) में उल्लिखित प्रत्येक वर्ग अथवा पद के लिए एक सेवा चयन समिति होगी।
(2) पदों का वर्ग और सेवा चयन समितियों का गठन, जैसाकि उप विनियम- (1) में संदर्भित है, निम्नलिखित के अनुसार होगा।

(क) विभागाध्यक्षों के लिए :-

पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन)	- अध्यक्ष
पत्तन का अध्यक्ष	- सदस्य
किसी अन्य पत्तन का अध्यक्ष अथवा इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखनेवाले अधिकारी जिसे पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा	- सदस्य
पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि	- सदस्य

(ख) प्रथम श्रेणी पद के लिए :-

अ) अध्यक्ष	- अध्यक्ष
आ) उपाध्यक्ष	- सदस्य
इ) रिक्त से संबंधित विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	- सदस्य
ई) कार्मिक विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	- सदस्य
छ) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि	- सदस्य

(ग) द्वितीय श्रेणी पदों के लिए :-

- | | | |
|----|--|-----------|
| अ) | उपाध्यक्ष | - अध्यक्ष |
| आ) | विभागाध्यक्ष जहाँ रिक्ति हुई है | - सदस्य |
| इ) | कार्मिक विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष | - सदस्य |
| ई) | अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि | - सदस्य |

(घ) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए (साधारण वर्ग) :-

- | | | |
|----|--|-----------|
| अ) | उपाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित विभागाध्यक्ष | - अध्यक्ष |
| आ) | कार्मिक विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष | - सदस्य |
| इ) | अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी जोकि वर्ग में 32,900- 58,000/- से कम नहीं है 1 | - सदस्य |
| ई) | अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि | - सदस्य |

(च) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए (असाधारण वर्ग) :-

- | | | |
|----|---|-----------|
| अ) | विभागाध्यक्ष, जहाँ रिक्ति हुई हो | - अध्यक्ष |
| आ) | कार्मिक विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष | - सदस्य |
| इ) | अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले संबंधित विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी जोकि वर्ग में 16000- 400- 20800 से कम नहीं है | - सदस्य |
| ई) | अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि | - सदस्य |

नियोक्ता प्राधिकारी बोर्ड की सेवा में न रहते किसी व्यक्ति को सेवा चयन समिति में सदस्य के रूप में नामित कर सकता है यदि उस व्यक्ति संगत क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। जहाँ सेवा चयन समिति का कोई सदस्य उपलब्ध न हो तो नियोक्ता प्राधिकारी उसके स्थान पर बैठक में भाग लेने हेतु उपयुक्त स्तर के अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है।

(3) जहाँ वर्गों में रिक्तियों पर नियुक्ति एक से अधिक विभाग में सामान्य है और सामान्य चयन द्वारा किया जा रहा है तो चयन समिति के गठन के बारे में प्रत्येक मामले में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

13. चयन सूची:-

सेवा चयन समिति, जैसाकि इसके द्वारा निर्णित, गुणानुक्रम में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदों पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए चयन सूची में रखे जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम पर सिफारिश कर सकती है। यह सूची नियोक्ता प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि से 12 माह की अवधि तक वैध मानी जाएगी। नियोक्ता प्राधिकारी सूची की वैधता को छः माह तक की सीमा अथवा एक नई सूची अनुमोदित होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

14. सेवा चयन समिति की सिफारिश और तदर्थ नियुक्ति पर विचार:-

नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संबंधित सेवा चयन समिति की सिफारिश पर सीधी भर्ती द्वारा सभी नियुक्तियों की जाएंगी।

सेवा चयन समिति की सिफारिश को ग्रहण न करने में नियोक्ता प्राधिकारी स्वतंत्र होगा यदि कारणों को लिखित रूप से दर्ज किया गया हो। इसके आने जहाँ नियोक्ता प्राधिकारी अध्यक्ष का एक अधीनस्थ प्राधिकारी है और किसी मामले में उन सिफारिशों पर प्राधिकारी सहमत नहीं होता है तो सहमत न होने के कारणों को दर्ज करते हुए मामले को अध्यक्ष के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।

यह भी है कि केवल एक अस्थायी पद, अवकाश पर एक रिक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रिक्ति, जिसे तत्काल भरा जाना हो, के मामले में अध्यक्ष एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जोकि रिक्त पद को एक ही बार में छः माह के लिए और निम्नलिखित शर्तों पर तदर्थ के आधार पर एक वर्ष से कम अवधि तक भरने हेतु पात्र है।

- (1) तदर्थ नियुक्ति, जहाँ अपरिहार्य हो, भर्ती नियमों में दी गई अर्हताओं, अनुभव को वास्तव में पूरा करने पर ही किया जाएगा।
- (2) एक अस्थायी पद पर नियुक्ति की कुल अवधि पद की अवधि से अधिक नहीं होगी।
- (3) अन्य मामलों में अस्थायी नियुक्ति के स्थान पर यथा संभव शीघ्र चयन सूची से नियमित नियुक्ति की जाएगी।

15. पक्ष में समर्थन हासिल के लिए प्रयास - एक अयोग्यता:-

किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद पर नियुक्ति अथवा उच्च पद पर पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने में किए गए प्रयास उसे उक्त नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए अयोग्य बना देगा ।

16. तथ्य को दबाना- एक अयोग्यता

यदि किसी अभ्यार्थी को जानबूझकर किसी गलत विवरण प्रस्तुत करने अथवा चरित्र के बारे में महत्वपूर्ण सूचना को दबाते हुए पाया जाता है, जोकि ज्ञात होने पर उसे उस वर्ग या पद पर नियुक्ति से सामान्य रूप से रोका जा सकता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि नियुक्ति की गई है तो सेवा से निकाल दिया जाएगा ।

17. नियुक्ति आदेश को निरस्त करना

यदि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पद पर चयन किए गए अभ्यार्थी नियुक्ति आदेश में उल्लिखित तारीख के अंदर और जहाँ किसी वैसा तारीख का उल्लेख न किया गया हो, नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर अथवा नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति आदेश को निरस्त माना जाएगा ।

18. साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान:-

सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के मामले में, लिखित और व्यावहारिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों (बोर्ड के सेवा में रहे व्यक्तियों सहित) को किए जाने वाले यात्रा का खर्च वहन करना होगा । परन्तु लिखित अथवा ट्रेड टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को वास्तविक प्रारंभिक यात्रा से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने पर दोनों ओर से सबसे छोटा व्यावहारिक मार्ग द्वारा यात्रा के प्रथम श्रेणी रेल भाड़ा के बराबर यात्रा भत्ता मंजूर किया जाएगा ।

19. परिवीक्षा अवधि :-

(1) 32,900- 58,000/-रु. और उससे अधिक वेतन मान से विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के सामसिक प्रक्रिया में आमेलन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर सीधी अथवा पदोन्नति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्त हर व्यक्ति को उप विनियम (2) एवं (3) में प्रावधानों के अनुसार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहना होगा ।

परन्तु जहाँ नियुक्ति अपने आप में नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट आवधि के लिए ही है यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उस अवधि को नहीं बढ़ाया जाता तो उक्त आवधि की समाप्ति के पश्चात् उस नियुक्ति को समाप्त माना जाएगा ।

परन्तु जब सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त की गई और पद के साथ संलग्न वेतन मान में अधिकतम 11,975/- रु.(पूर्व संशोधित) से ज्यादा नहीं है तो परिवीक्षा का अवधि एक वर्ष होगी ।

परन्तु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी वर्गों में पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए परिवीक्षा अवधि नहीं होगी ।

आगे यह भी है कि यदि किसी वर्ग या पद पर परिवीक्षाधीन कर्मचारी को एक उच्च वर्ग या पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है तो निचले वर्ग या पद पर परिवीक्षा अवधि को उच्च वर्ग या पद पर नियुक्ति की अवधि के साथ गिना जाएगा । इसी तरह यदि कोई कर्मचारी किसी पद या वर्ग पर स्थानापन्न के रूप में पहले से नियुक्त किया गया है तो परिवीक्षा पर समान पद या वर्ग में नियुक्ति की अवधि को वह पद या वर्ग में परिवीक्षा अवधि को पूरा करने के लिए वैसे स्थानापन्न अवधि (तदर्थ सेवा को छोड़कर) को गिनने के लिए उपयुक्त होगा ।

(2) परिवीक्षा अवधि को, यदि नियोक्ता अधिकारी उपयुक्त समझे, एक ही समय पर निर्धारित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है परन्तु बढ़ाई गई समय सीमा जहाँ किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अथवा कानूनी कार्यवाही लंबित रहने के कारण समय बढ़ाए जाने की आवश्यकता हो को छोड़कर, एक वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

(3) परिवीक्षा आवधि में एक कर्मचारी को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा समय समय पर उसके लिए निर्दिष्ट किए गए विभागीय प्रशिक्षण लेना और विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

20. परिवीक्षा काल में कर्मचारियों का स्थायीकरण :-

(1) सामान्य:-

- (क) सेवा में कर्मचारी की पुष्टि एक बार की जाएगी जोकि प्रवेश वर्ग में ही किया जाएगा ।
- (ख) वर्ग में उपलब्ध स्थायी रिक्ती से स्थायीकरण का सम्बन्ध कट जाता है । दूसरे शब्दों में किसी अधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि को सफलता से पूरा करने पर उसे स्थायीकरण के लिए विचार किया जाता है ।

(2) प्रारंभिक स्तर पर नियुक्त वर्ग में स्थायीकरण :-

- (क) आज के अनुसार नियुक्त व्यक्ति को सफलता के साथ परिवीक्षा अवधि को पूरा करना चाहिए ।
- (ख) मामले को विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा (स्थायीकरण के लिए)
- (ग) सभी दिशाओं से सुनिश्चित किए जाने पर मामलों में एक विशेष स्थायीकरण आदेश जारी किया जाएगा ।

(3) पदोन्नति पर :-

(क) यदि भर्ती नियम में परिवीक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तो नियमित आधार पर पदोन्नत अधिकारी (निर्धारित विभागीय पदोन्नति समिति आदि, प्रक्रिया के अनुपालन के बाद) उसी वर्ग में स्थायी किए गए व्यक्ति के समान लाभ प्राप्त करेगा ।

(ख) जहाँ परिवीक्षा के बारे में उल्लेख है, नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अधिकारी के कार्य तथा आचरण का जायजा लिया जाएगा और यदि निष्कर्ष निकलता है कि अधिकारी उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है तो संबंधित व्यक्ति द्वारा सफलता के साथ परिवीक्षा की अवधि पूरा किया गया है घोषित कर आदेश जारी किया जाएगा । यदि अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है या उस पर कुछ अधिक समय तक ध्यान दिया जाना है तो वह उसे उस पद या वर्ग में वापस कर सकते हैं जहाँसे उसकी पदोन्नति हुई हो या परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकते हैं, मामले जैसा भी हो ।

जैसाकि एक अधिकारी द्वारा सफलता के साथ परिवीक्षा की अवधि को पूरा किया गया है, के बारे में घोषित करने से पहले पदोन्नति पर पुष्टि की भावना नहीं है तो उसके निष्पादन की यथार्थ छानबीन की जानी चाहिए और यदि परिवीक्षा अवधि में अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है तो उसे पूर्व पद अथवा वर्ग, जहाँसे उसकी पदोन्नति हुई हो, में वापस लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ।

परिवीक्षाधीनों की पुष्टि :- परिवीक्षा की सुनिश्चित शर्तों के साथ सीधी भर्ती द्वारा स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि को सफलता के साथ पूरा करने की तारीख से उसी वर्ग में पुष्टि की जाएगी। परिवीक्षा को बढ़ाए जाने अथवा पुष्टि के बारे में निर्णय परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि, यानेकि सामान्य: 6 से 8 सप्ताह की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए और बढ़ाई गई अवधि के कारणों के साथ-साथ कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिए। यद्यपि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जाती है तो परिवीक्षा की सुनिश्चित शर्तों के साथ एक स्थायी पद पर नियुक्त उस व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि को सफलता के साथ पूरा करने की तारीख से उसी वर्ग में पुष्टि की जाएगी। परिवीक्षाधीन कर्मचारी जिसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है या जो सेवा के लिए अपने आप को अपर्याप्त दर्शाता है तो मूल परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बहुत पहले उसे उसकी कमियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि अपनी उन्नति के लिए वह अधिक प्रयास कर सके।

परिवीक्षा के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति को अधिकारियों का संगत क्रम निर्धारण नहीं करना चाहिए केवल सफलता के साथ परिवीक्षा अवधि को पूरा किया गया है, को घोषित करने के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि किसी परिवीक्षाधीन कर्मचारी का निष्पादन संतोषजनक नहीं है तो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा परिवीक्षा अवधि के बढ़ाए जाने अथवा सेवा से निकाले जाने के बारे में सलाह दी जा सकती है।

21. परिवीक्षा अवधि में कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन अथवा सेवा मुक्त करना:-

(1) यदि किसी कर्मचारी को उसकी पहली नियुक्ति में परिवीक्षा अवधि में आचरण अथवा निष्पादन के आधार पर विनियम-19 में निर्धारित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे बोर्ड की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

(2) यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा अवधि में किसी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखा हो और नियोक्ता प्राधिकारी के विचार के लिए विनियम-19 में निर्धारित परिवीक्षा अवधि को पूरा नहीं करता है तो उसे पुनर्ग्रहणाधिकार रखने वाले पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर परिवीक्षा अवधि के दौरान निष्पादन या आचरण अथवा विभागीय परीक्षा में असफल होने के आधार पर, यदि निर्धारित हो, आगे उस पद पर प्रतिधारण हेतु अयोग्य पाया जाता है, यदि उसने किसी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार न रखा हो अथवा उसने जिस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखा है उस पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो तो उसे किसी भी समय सेवा से निकाल दिया जाएगा।

22. विशेष मामलों में पदोन्नति तथा पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा :-

अध्यक्ष द्वारा अर्हक विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, में उत्तीर्ण होने पर पदों पर पदोन्नति तथा पुष्टि के लिए समय समय पर व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष द्वारा समय समय पर अर्हक विभागीय परीक्षा का संपूर्ण व्योरा जैसे परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा के लिए अंतराल, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अधिकतम अवधि आदि निर्धारित की जाएगी।

23. विभागीय परीक्षा में असफलता के कारण प्रत्यावर्तन:-

किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी को अध्यक्ष द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, में तथा निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा कर्मचारी को पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। जबकि किसी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना निर्धारित शर्त के रूप में पूर्व उदाहरण रहा है तो निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक किसी भी कर्मचारी को किसी पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

24. वरीयता सूची :-

प्रत्येक वर्ग में कर्मचारियों के परस्पर वरीयता उल्लेख करते हुए वर्गीकरण की एक अद्यतन सूची रखी जाएगी। उक्त सूची प्रत्येक वर्ग में स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों को अलग से दर्शाएगा। प्रत्येक वर्ष उक्त सूची को परिचालित किया जाएगा।

25. वरीयता निर्धारण :-

(1) सीधी भर्ती द्वारा किसी वर्ग में नियुक्त और विभागीय पदोन्नति पर नियुक्त व्यक्तियों की वरीयता में सीधी भर्ती तथा पदोन्नती के बीच रिक्रियों के क्रमावर्तन के अनुसार परस्पर वरीयता को निर्धारित किया जाएगा जोकि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए आरक्षित वर्गों में अनुसूची में दिए गए निक्रियों के कोटा के आधार पर होगा। उन मामलों में जहाँ विनियम- 6 के अनुसार रिक्रियों को अदली-बदली का सहारा लिया गया है वहाँ वरीयता भर्ती की रीति के अनुसार होगा।

(2) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उनके निष्पादन के आधार पर बनाई गई चयन सूची में योग्यता के क्रम में परस्पर वरीयता श्रेणी में रखा जाएगा और पूर्व चयन सूची में दी गई नियुक्तियों को बाद में बनाई गई चयन सूची से वरिष्ठ श्रेणी में रखा जाएगा।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए अनुमोदित आदेश के अनुसार रिक्रियों के पदोन्नति कोटा के विरुद्ध नियुक्त व्यक्तियों को परस्पर वरीयता श्रेणी में रखा जाएगा।

(4) उपर्युक्त उप विनियम (1) से (3) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के प्रारंभ से पहले निर्धारित वरियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26. विभागीय पदोन्नति समिति :-

(1) इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मचारियों की एक नामिक सिफारिश करने हेतु प्रत्येक वर्ग या पद के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति रहेगी।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन विनियम- 12 में उल्लिखित सेवा चयन समिति जैसा होगा नामिक की विधिमान्यता विनियम- 13 में उल्लिखित जैसाही होगा।

27. पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र :-

(1) जब किसी वर्ग में एक या अधिक पदों को फीडर वर्ग में पदासीन कर्मचारियों से चयन प्रक्रिया के जरिए पदोन्नति पर भरा जाना है तो निर्धारित भर्ती नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव के साथ पात्र पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्तकि वे विचार के लिए उपर्युक्त हों।

(2) चयन पद्धति के जरिए पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को सिफारिश करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(क) विभागीय पदोन्नति समिति (डी पी सी) निर्धारित बेंचमार्क के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे कर्मचारियों को उपयोगिता का निर्धारण करेगी और तदनुसार कर्मचारियों को " उपयुक्त " अथवा " अनुपयुक्त " वर्ग में रखेगी। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किए गए व्यक्तियों को ही चयन सूची में शामिल किया जाएगा और प्रारंभिक वर्ग के परस्पर वरीयता के क्रम में रखने हेतु व्यवस्था की जाएगी। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए गए अधिकारियों को चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति विदेश सेवा या अध्ययनार्थ छुट्टी पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार करेगी।

(ग) सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई में पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेश में आवश्यक परिवर्तनों को लागू किया जाएगा।

टिप्पणी :- 16,000- 400- 20,800/- रु. और उससे अधिक वेतनमान के पद पर आमेसन के लिए और जिसके लिए भर्ती की संयुक्त प्रक्रिया को अपनाया गया है, संपूर्ण वर्गीकरण में बेंच मार्क " बहुत अच्छा " होगा अन्य मामलों में बेंच मार्क " अच्छा " होगा।

3. अचयनित पदों पर पदोन्नति के लिए, जहाँ बैंच मार्क निर्धारित नहीं है, चयन हेतु मानदण्ड वरीयता- व - उपयुक्तता होगा ।

28. तदर्थ नियुक्तियाँ :-

तत्काल आवश्यकता पर जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश की गई नामिका का व्यवहार किया जा चुका है, नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक वर्ग या पद पर कार्यरत वरिष्ठ पात्र एवं उपयुक्त कर्मचारी को नियुक्त कर किसी पद पर संपूर्ण रूप से तदर्थ नियुक्ति किया जा सकता है जोकि एकही समय पर छः माह की अवधि तक और एक वर्ष से कम अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नई नामिका की सिफारिश किए जाने तक, जोभी पहले हो, तक होगा । जहाँ तदर्थ नियुक्ति अपरिहार्य है वहाँ भर्ती नियम में केवल निर्धारित अर्हताओं, अनुभव को पूरा करने पर ही किया जाना चाहिए ।

29. अनुकंपा पर नियुक्तियाँ

इन विनियमों में उल्लेख के बावजूद अध्यक्ष इन विनियमों में भर्ती की निर्धारित सामान्य प्रक्रिया में छुट दे सकते हैं और बोर्ड के कर्मचारी के बंध पुत्र या पुत्री या जीवित पति या पत्नी को तृतीय या चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति दे सकते हैं वशर्तकि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित अर्हताएँ एवं अनुभव हों और उसे उपयुक्त पाया गया हो ।

30. व्याख्या:-

इन विनियमों को लागू करने में केन्द्र सरकार के सभी अनुदेशों को समय समय पर संशोधित किया जाता है जोकि इन विनियमों के किसी भी प्रावधानों के विपरीत नहीं है और विशेष रूप से पूरा न किए गए मामलों पर केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी सभी अनुदेशों का पालन किया जाएगा जहाँ किसी विनियमों की व्याख्या में संदेह पैदा होता है तो मामले को अध्यक्ष के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

31. निवारण और बचाव :-

सभी विनियमों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं और परम्पराओं से संबंधित विनियमों जिन्हे इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व तत्काल लागू किया गया है, एतद्वारा निरस्त हो जाएगा ।

परन्तु निरस्त किए गए विनियमों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं और परम्पराओं के अधीन की गई कार्रवाई अथवा बनाए गए किसी आदेश को इन विनियमों के समान प्रावधानों के अधीन बनाया गया है या कार्रवाई की गई है, ऐसा माना जाएगा ।

+++++

प्रशासनिक विभाग पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	उप निदेशक (अनुसंधान)	1	श्रेणी -1	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-300-16750/-)	चयनित	35	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित में डिग्री। (ii) योजना अथवा डाटा कलेक्शन, कंप्यूटेशन तथा इंटरप्रिटेशन में अथवा फील्ड सर्वे जांच आदि करने में पांच वर्षों का कार्यकारी अनुभव। वांछनीय :- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या परिचालन अनुसंधान और घटक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा (ii) कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतनमान के सहायक निदेशक (ईडीपी)/सहायक सचिव ग्रे-1 से पदोन्नति, ऐसा न होने पर वर्ग में 2 वर्ष की नियमित सेवा सहित रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतनमान और पीआर मंडल के संबंधित अनुशासन में रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) एवं रु. 16400-40500/- के वेतनमान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा सहित सहायक निदेशक (ईडीपी)/सहायक सचिव ग्रे-1 अन्य तत्सम पदों से पदोन्नति। महा पत्तन न्यास के पीआर मंडल के अनुसूची पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतनमान के सहायक निदेशक (ईडीपी)/सहायक सचिव ग्रे-1 तथा अन्य समतुल्य पदधारियों से आमे लन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	13

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (र.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संयोग (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगे लान/प्रतियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आगे लान/प्रतियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आगे लान/प्रतियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वेतन जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	सहायक सचिव	1	प्रथम श्रेणी - I	र. 20600-46500/-	चयनित	30	अनिवार्य: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या परिचालन अनुसंधान और चयन विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा (ii) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा- 33.1/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3%	वेतनमान र. 16400-40500/- में सहायक सचिव श्रेणी - II पदों जैसे जन संपर्क अधिकारी, निजी सहायक, प्रबंधक, अतिथि गृह, सहायक संपर्क अधिकारी, कल्याण अधिकारी, प्रधानाध्यक्षक, सांख्यिकी एवं अनुसंधान अधिकारी, सहायक प्रबंधक (संपदा) एवं लेखा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। अथवा सामान्य प्रशासन विभाग की संवर्धित विधा में जहाँ उस विधा में र. 16400-40500/- के वेतनमान में कोई श्रेणी - II पद नहीं है, तब वेतनमान र. 13600-32400/- में श्रेणी - III कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	13

2	सहायक सचिव	1	प्रथम श्रेणी - I	र. 20600-46500/-	चयनित	30	अनिवार्य: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या परिचालन अनुसंधान और चयन विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा (ii) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा- 33.1/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3%	वेतनमान र. 16400-40500/- में सहायक सचिव श्रेणी - II पदों जैसे जन संपर्क अधिकारी, निजी सहायक, प्रबंधक, अतिथि गृह, सहायक संपर्क अधिकारी, कल्याण अधिकारी, प्रधानाध्यक्षक, सांख्यिकी एवं अनुसंधान अधिकारी, सहायक प्रबंधक (संपदा) एवं लेखा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। अथवा सामान्य प्रशासन विभाग की संवर्धित विधा में जहाँ उस विधा में र. 16400-40500/- के वेतनमान में कोई श्रेणी - II पद नहीं है, तब वेतनमान र. 13600-32400/- में श्रेणी - III कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	13
---	------------	---	------------------	------------------	-------	----	--	----------------------------	--------	---	---	----

प्रशासनिक विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन रखे गए श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

[illegible]

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (र.)	क्या यह पद चयनित या नैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगे चल/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आगे चल/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आगे चल/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में खंड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
11		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	वरिष्ठ कल्याण अधिकारी	11	श्रेणी - I	रु. 10750-300-16750/-	चयनित	35	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामाजिक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा (iii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में श्रम अधिकारी/औद्योगिक संपर्क अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव (iv) स्थानीय भाषा का ज्ञान	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आगे चल/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	वेतनमान रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) में सहायक सचिव-1/अध्यक्ष के निजी सचिव/हिन्दी अधिकारी से पदोन्नति द्वारा जिनमें उस खंड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ऐसा न होने पर वेतनमान रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) में सहायक सचिव-1/अध्यक्ष के निजी सचिव/हिन्दी अधिकारी से पदोन्नति द्वारा जिनमें उस खंड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, तथा वार्षिक एवं औद्योगिक संपर्क मंडल की संबंधित विभाग में वेतनमान रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) तथा वेतनमान रु. 16400-40500/- में संयुक्त रूप से 8 वर्षों की नियमित सेवा की हो। आगे चल/प्रतिनियुक्ति, महसुलतन न्यास में साहस्य पदधारी अथवा वेतनमान 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) में सहायक सचिव (से-1)/अध्यक्ष के निजी सचिव/हिन्दी अधिकारी जिनमें उस खंड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, से की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर (रु.)	क्या यह पद ध्यतित या गैर ध्यतित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगे तन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आगे तन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आगे तन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी	
11	5 अध्यक्ष के निजी सचिव	3	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-250-15100/-)	ध्यतित	30	अनिवार्य:- (i)मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि (ii) आयुलिपि य टंकण में प्रति मिनट 120/40 शब्द गति में प्रवीणता (iii) कंप्यूटर अप्लिकेशन का ज्ञान (iv) औपचारिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रमों में आयुलिपिक/निजी सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।	(क)नहीं (ख)नहीं (ग)नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आगे तन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.16400-40500/- वेतनमान वाले विभागाध्यक्षों निजी सहायक/उपाध्यक्ष की निजी सहायक से पदोन्नति। महा पत्तन न्यास में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसूची पदधारी अधिकारियों या संदर्भ पद पर कार्यरत अधिकारी से आगे तन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	13	
6	अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव	01	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-)	ध्यतित	35	अनिवार्य:- (i)मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि (ii) आयुलिपि य टंकण में प्रति मिनट 120/40 शब्द गति में प्रवीणता। (iii) कंप्यूटर अप्लिकेशन का ज्ञान (iv)औपचारिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में आयुलिपिक/निजी सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।	(क)नहीं (ख)नहीं (ग)नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आगे तन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-15100/-) के वेतन मान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति। महा पत्तन में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसूची पदधारी या संदर्भ पद पर कार्यरत अधिकारी से आगे तन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।		

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद पयन्त या गैर पयन्त है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेद/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवर्षा अपरि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेद/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेद/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-300-16750/-)	चयनित	35	अभियार्थी:- (i) इंस्ट्रुक्शन ऑफ सर्वेयर (भारत) के (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबंधन, मूल्यांकन या भूमि रिकार्ड में सात वर्ष का कार्यपालक अनुभव वांछनीय : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री में डिग्री	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर पदोन्नति/आमेद/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा	अपने वेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतन मान रु. 9100-1500/-) वाले अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति, ऐसा न होने पर रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100) वेतनमान में अपने वेड में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतन मान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति। मत्तः पत्तन में अपने वेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसूची पदधारी या संवर्ग पद पर कार्यरत अधिकारी से आमेद/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	
8	अधीक्षक	01	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/-	चयनित	35	अभियार्थी:- (i) इंस्ट्रुक्शन ऑफ सर्वेयर (भारत) के (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबंधन, मूल्यांकन या भूमि रिकार्ड में सात वर्ष का कार्यपालक अनुभव वांछनीय : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री में डिग्री	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर पदोन्नति/आमेद/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा	अपने वेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतन मान रु. 9100-1500/-) वाले अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति, ऐसा न होने पर रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100) वेतनमान में अपने वेड में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतन मान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति। मत्तः पत्तन में अपने वेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसूची पदधारी या संवर्ग पद पर कार्यरत अधिकारी से आमेद/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	
9	अधीक्षक	01	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/-	चयनित	35	अभियार्थी:- (i) इंस्ट्रुक्शन ऑफ सर्वेयर (भारत) के (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबंधन, मूल्यांकन या भूमि रिकार्ड में सात वर्ष का कार्यपालक अनुभव वांछनीय : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री में डिग्री	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर पदोन्नति/आमेद/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा	अपने वेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतन मान रु. 9100-1500/-) वाले अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति, ऐसा न होने पर रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100) वेतनमान में अपने वेड में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतन मान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति। मत्तः पत्तन में अपने वेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसूची पदधारी या संवर्ग पद पर कार्यरत अधिकारी से आमेद/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद घयनित या गैर घयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेतन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में रेट जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	उप मुख्य विधि अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	रु. 24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 13000-350-18250/-)	घयनित	40	अतिरिक्तः- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में विधि स्थापना में 9 वर्ष का अनुभव या वांछनीय मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा	अपने रेट में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतन मान रु. 9100-15000/-) वाले अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति, ऐसा न होने पर रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100) वेतनमान में अपने रेट में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतन मान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति। महा पत्तन में अपने रेट में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसूची पदधारी या संवर्ग पद पर कार्यरत अधिकारी से आमेतन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	संवर्ग पुनः संरचना आदेश दि. 6.2.2004 के अनुसार भर्ती दरिद्रता तथा पदोन्नति विनियम की प्रारंभ की तारीख से पत्तन कर्मचारियों में विधि अर्हता प्राप्त अधिकारी रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750/-) वेतनमान में विधि में अर्हता प्राप्त अधिकारी को पद पर आमेतन के लिए दरिद्रता दी जाएगी।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमे लन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ब्रेड किससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	उप सचिव	01	प्रथम श्रेणी-1	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000-350-18250/-)	चयनित	40	अतिवार्य :- (i) मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से उपाधि। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि क्षेत्र में कार्यपालकीय संवर्ग में नौ वर्ष का अनुभव। वांछनीय :- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध / सामाजिक कार्य / श्रम कल्याण अथवा संबद्ध विषयों पर स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा अथवा विधि में उपाधि।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	अपने ब्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान वाले वरिष्ठ सहायक सचिव/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी से पदोन्नति, ऐसा न होने पर, सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित पद पर रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान में अपने ब्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवा रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) व रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप से नौ वर्ष नियमित सेवायुक्त वरिष्ठ सहायक सचिव/अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी से पदोन्नति। आमे लन/प्रतिनियुक्ति हेतु महा पत्तन न्यास में अनुसूची पदधारी अधिकारी अथवा वेतनमान रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) में वरिष्ठ सहायक सचिव/अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी जिन्होंने उस ब्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो, से की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (यहाँ में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगे तन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परीक्षा अवधि (यहाँ में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में श्रेष्ठ जिससे भर्ती की जानी है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	वरिष्ठ उप सचिव	01	प्रथम श्रेणी-I	रु.32900-58500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-20800/-)	चयनित	42	अनिवार्य :- (i) मान्यताप्राप्त विषय विद्यालय से उपाधि। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि क्षेत्र में कार्यपालकीय संदर्भ में नौ वर्ष का अनुभव। :- वांउत्तीय मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा संबद्ध विषयों पर स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा अथवा विधि में उपाधि।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है।	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने आमेतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	समेतित पदवृत्ति से आमेतन के लिए महा पत्तन न्यासी में साक्षर्य पदधारी अथवा सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित विधा में उप सचिव व समतुल्य पदधारी (जैसे मुख्य जन संपर्क अधिकारी/उप संपदा प्रबंधक/उप मुख्य विधि अधिकारी/कार्मिक अधिकारी) जिन्होंने रु.24900-50500/- वेतनमानवाले श्रेष्ठ में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा सा.प्र.वि. की संबंधित विधा में उप सचिव या समतुल्य पदधारी जिन्होंने उस श्रेष्ठ में 2 वर्षों की नियमित सेवा तथा महा पत्तन न्यास में सा.प्र.वि. में रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) तथा 24900-50500/- के वेतनमानवाले श्रेष्ठ में संयुक्त रूप से 7 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ही पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के मामले में सरकारी/अर्ध सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकायों में सा.प्र.वि. की संबंधित विधा में रु.24900-50500/- वेतनमान में उप सचिव व समतुल्य पदधारी, जिन्होंने उस श्रेष्ठ में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ही पात्र होंगे। चयन गुणता के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए एसीआर में समय शेडिंग का वैधानिक 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होनी चाहिए।	जैसाकि इस पद को पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया है अतः पूर्वापार के रूप में इसे भर्ती हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पदवृत्ति नहीं अपनाई जाएगी। पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, वरन्तकि अभ्यर्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो। (संदर्भ पत्तन एवं गौदी अभिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क))

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेंतन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवर्द्धन अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेंतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेंतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में रोड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	सचिव (वर्ग-II पद)	01	प्रथम श्रेणी-1 (विभागाध्यक्ष)	रु. 43200/- 66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 18500-450-23900/-)	चयनित	45	अतिवार्य :- (i) मान्यताप्राप्त विद्यालय से उपाधि। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन/कार्मिक/औद्योगिक क संबंध आदि क्षेत्र में कार्यपालकीय संवर्ग में चन्द्रह वर्ष का अनुभव। शैक्षणिक :- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम अथवा संबद्ध विषयों पर स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा अथवा डिप्लोमा में उपाधि।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होवे आमेंतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा	मिश्रित पद्धति से आमेंतन हेतु, महा पत्तन न्यास में सामान्य प्रशासन विभाग/के संबंधित विषय में अपने रोड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 36600-62000/- वेतनमानवाले अधिकारी अथवा अपने रोड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 32900-58000/- वेतनमानवाले पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी / अधिसरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में अनुसूची पदधारी अधिकारी या सामान्य प्रशासन/मानव संसाधन विकास विभाग में अपने रोड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 32900-58000/- य उससे अधिक वेतनमान के धोरण उप सचिव व समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा। इसके लिए एसीआर में समग्र रेटिंग की रैंकिंग के बहुत अच्छा से नीचे नहीं होनी चाहिए।	

वित्त एवं लेखा विभाग, पारदीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या और चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी क) आयु ख) शैक्षणिक योग्यताएं ग) अनुभव, पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनिधित्व युक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनिधित्व द्वारा)	पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती के मामले में बेंड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	लेखा अधिकारी बेंड-1	02	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-250-15100/-)	चयनित	30	अनिवार्य : इस्ट्रिक्ट चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स इंडिया या इस्ट्रिक्ट ऑफ चार्टर्ड एड वर्कस अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य वांछनीय : औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में वित्त, अकाउंटिंग में कार्यपालकीय सर्वग में 2 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीपी भर्ती द्वारा पदोन्नति द्वारा- 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीपी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	अपने बेंड में 3 वर्ष नियमित सेवापुस्त रु. 16400-40500/- वेतनमानवाले लेखा अधिकारी बेंड-II/सहायक सचिव बेंड-II से पदोन्नति। या सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित विधा में जहाँ उस विधा में रु. 16400-40500/- के वेतनमान में कोई श्रेणी-II पद नहीं है तब वेतनमान रु. 13600-32400/- में श्रेणी-III कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस बेंड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	13

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अपेक्षित आय सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिधि का अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में थ्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	02	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित देतनमान रु. 10750-300-16750/-)	चयनित	35	अतिवार्य : इस्टिड्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स इंडिया या इस्टिड्यूट ऑफ फास्ट रेंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य। वैकल्पिक : औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में वित्त, अकाउंटिंग कार्यपालकीय संवर्ग में 2 वर्ष का अनुभव।	(क) जहाँ (ख) जहाँ, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि जल्दी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित देतनमान रु. 9100-15100/-) के देतनमानवाले लेखा अधिकारी थे-1, ऐसा न होने पर अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित देतनमान रु. 9100-15100/-) के देतनमानवाले और वित्त विभाग के संबंधित विषय में रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित देतनमान रु. 9100-15100/-) और रु. 16400-40500/- देतनमानों में संयुक्त रूप में 8 वर्ष नियमित सेवावाले लेखा अधिकारी थे-1/सहायक सचिव थे-1 से पदोन्नति। महत्त्वपूर्ण न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित देतनमान रु. 9100-15100/-) देतनमान में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त लेखा अधिकारी थे-1/सहायक सचिव थे-1 के पद से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (यबों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिची का अवधि (यबों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	रिस्पॉन्सिबिलिटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	उप मुख्य लेखा अधिकारी	02	प्रथम श्रेणी	रु. 24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 1300-400-20800/-)	चयनित	42	अतिरिक्त : इन्स्ट्रुक्शन चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स इंडिया या इन्स्ट्रुक्शन ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य (ii) : औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में वित्त, अकाउंटिंग में कार्यपालकीय संयोजन में 9 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि जस्ती है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) वेतनमानवाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी से पदोन्नति, ऐसा न होने पर अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) वेतनमानवाले और वित्त विभाग के संबंधित विषय में रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप में 9 वर्ष नियमित सेवावाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी से पदोन्नति। महा पत्तन न्यास में अनुसूची पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) वेतनमानवाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी से आगेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतियोगिता के मामले में लागू होंगे।	परिीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतियोगिता द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतियोगिता द्वारा भर्ती के मामले में कौन जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-20800/-)	चयनित	35	अनिवार्य - (i) इंस्ट्रिक्टर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्ट्रिक्टर ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य (ii) औद्योगिक / वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में चित्त, अकाउंटिंग में कार्यपालकीय संदर्भ में 2 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हों (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतियोगिता द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में अनुसूची पदधारी अधिकारी या वित्त विभाग के संबंधित विषय में अपने वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप मुख्य लेखा अधिकारी और उसके समतुल्य पदधारी या महा पत्तन न्यास में वित्त विभाग के संबंधित विषय में अपने वेतन में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) और रु.24900-50500/- के वेतनमानों में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप मुख्य लेखा अधिकारी व समतुल्य पदधारी पात्र होंगे। प्रतियोगिता हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में अनुसूची पदधारी अधिकारी या वित्त विभाग के संबंधित विषय में अपने वेतन में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.24900-50500/- वेतनमानवाले उप मुख्य लेखा अधिकारी और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर समग्र रेडिंग की दृष्टिकोण से नतीजे नहीं होंगे।	जैसाकि इस पद को पहली बार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापार के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, वरन्तकि अभ्यर्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो। (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या नैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित आयु सीमा (यहाँ में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचीक्षा अवधि (यहाँ में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (वर्ग-II पद)	01	प्रथम श्रेणी (विभागाध्यक्ष)	रु. 43200-66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 18500-450-23900/-)	चयनित	45	(i) अनिवार्य : (1) इन्स्टिट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड वर्कस अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य (ii) औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में वित्त, अकाउंटिंग में कार्यपालकीय संवर्ग में 2 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आगेलन हेतु, महापत्तन न्यास में वित्त विभाग में अनुसूची पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में रु. 36600-62000/- वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी या अपने ग्रेड में रु. 32900-58000/- वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में अनुसूची पदधारी अधिकारी या वित्त विभाग में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 32900-58000/- और उसे उच्च वेतनमान वाले ग्रेड उप मुख्य लेखा अधिकारी और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। यद्यपि अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र रेटिंग की वैचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होगा।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अपेक्षित आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में श्रेष्ठ जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	सहायक निदेशक (ईडीपी)	01	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-250-15100/-)	चयनित	30	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरी/कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित/सांख्यिकी/परिचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री सहित कंप्यूटर अप्लिकेशन/कंप्यूटर साइंस/सूचना तकनीकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर अप्लिकेशन/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित इंजीनियरी में डिग्री	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	02 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक टाऊन सीपी भर्ती द्वारा पदोन्नति 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीपी भर्ती द्वारा 66.2/3% पदोन्नति 33.1/3%	अपने श्रेष्ठ में 03 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 16400-40500/- वेतनमानवाले प्रोग्रामर से पदोन्नति। या पी एण्ड आर मंडल की संबंधित विधि में वेतनमान रु. 13600-32600/- में तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने उस श्रेष्ठ में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, जहाँ उस विधि में वेतनमान रु. 16400-40500/- में कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी नहीं है, से पदोन्नति।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन (रु.)	क्या यह पद चयनित या नैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधे भर्ती संभव है (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में रैंड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	उप निदेशक (ईडीपी)	01	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-300-16750/-)	चयनित	35	अतिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर इंजिनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अप्लिकेशन/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित गणित/सांख्यिकी/परिचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अप्लिकेशन/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित इंजिनियरिंग में डिग्री (ii) प्रोवांसिग/	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	02 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	वेतनमान रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) में सहायक निदेशक (ईडीपी) से पदोन्नति द्वारा जिनहोंने उस रैंड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ऐसा न होने पर वेतनमान रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) में सहायक निदेशक (ईडीपी) से पदोन्नति द्वारा जिनहोंने उस रैंड में 2 वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा पी एण्ड आर प्रभाग की संबंधित विभाग वेतनमान रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) एवं रु. 16400-40500/- में संयुक्त रूप से 8 वर्षों की नियमित सेवा की हो। आमेलन/प्रतिनियुक्ति, महापत्तन न्यास में पी एण्ड आर प्रभाग में साक्ष्य पदपरी अथवा वेतनमान रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) में सहायक निदेशक (ईडीपी)/सहायक निदेशक (अनुसंधान) तथा अन्य समतुल्य पदपरी जिनहोंने उस रैंड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, से की जाएगी।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग/सिस्टम डिजाइन एवं एनलिसिस और संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से गणित/सांख्यिकी/परिचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या (ii) सिस्टम या इन्फॉर्मेशन सिस्टम या एम.आई.एस या सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित विषयों में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजिनियरिंग या सिस्टम या इन्फॉर्मेशन सिस्टम या एम.आई.एस या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर अनुसंधान या डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन (स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा) में स्नातकोत्तर उपाधि ।					

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती या तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में रैंड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	वरिष्ठ उप निदेशक (ईडीपी)	01	प्रथम श्रेणी	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000/- 8250/-)	चयनित	40	अविवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कंप्यूटर इंजिनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अतिक्रमण /कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित गणित/सांख्यिकी/परिचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अतिक्रमण /कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित इंजिनियरिंग में	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	02 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने रैंड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानवाले उप निदेशक(ईडीपी)/उप (अनुसंधान) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर पी एण्ड आर मंडल के संबंधित चिप में अपने रैंड में रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) और रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100/- वेतनमान में संयुक्त रूप से 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप निदेशक (ईडीपी)/उप निदेशक(अनुसंधान) से पदोन्नति। मास पत्तन न्याय के पी एण्ड आर मंडल के अनुसूची पदधारी अधिकारी या अपने रैंड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानवाले उप निदेशक(ईडीपी)/उप निदेशक (अनुसंधान) व अन्य समतुल्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							डिप्टी (ii) प्रोग्रामिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग / सिस्टम डिजाइन एवं एनालिसिस एवं संबंधित क्षेत्र में तैयारी का अनुभव । याप्यः :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से गणित / सांख्यिकी/प्रचालन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या (iii) सिस्टम्स या इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी और संबंध विषयों में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर इंजीनियरी या सिस्टम्स या इन्फार्मेशन सिस्टम्स या एमआईएस या इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लिकेशन या विसिन्स एडमिनिस्ट्रेशन (स्नातकोत्तर डिप्लोमा) में स्नातकोत्तर उपाधि ।				पदधारियों से आमेलन/प्रतिनिधित्व की जाएगी ।	

विद्युत एवं यांत्रिक विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	इसका यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संवर्धी क) आयु ख) शैक्षणिक योग्यताएं ग) अनुभव, पदोन्नति/अभिलेख/प्रतिनिधित्व के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/अभिलेख/प्रतिनिधित्व द्वारा)	पदोन्नति/अभिलेख/प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती के मामले में रोल जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	सहायक कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)	12	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-250-15100/-)	चयनित	30	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यांत्रिक/इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 2 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरी डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा - 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% पदोन्नति द्वारा - 33.1/3%	अपने रोल में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक अभियंता (यांत्रिक) से पदोन्नति या यांत्रिक विभाग में जहाँ रु. 16400-40500/- के वेतनमान में द्वितीय श्रेणी पद नहीं है वहाँ रु. 13600-32400/- वेतनमान में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस रोल में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	13
2	सहायक कार्यपालक अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन)	10	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-250-15100/-)	चयनित	30	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक/इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 2 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरी डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा - 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% पदोन्नति द्वारा - 33.1/3%	अपने रोल में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक अभियंता (विद्युत)/इलेक्ट्रॉनिक्स से पदोन्नति या विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग में जहाँ रु. 16400-40500/- के वेतनमान में द्वितीय श्रेणी पद नहीं है वहाँ रु. 13600-32400/- वेतनमान में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस रोल में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतन मान (र.)	स्वा. यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिषद् का अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में रैंड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)	06	प्रथम श्रेणी	रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित देतनमान रु.10750-300-16750/-)	चयनित	35	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) औद्योगिक/यांत्रिक/सखल शी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 5 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं, (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरी डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने रैंड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित देतनमान रु.9100-15100/-) देतनमानवाले सहायक कार्यपालक अभियंता(यां) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर अपने रैंड में रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित देतनमान रु.9100-15100/-) देतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा यांत्रिक य शिजली इंजीनियरी विभाग में यांत्रिकी इंजीनियरी विषय में रु.20600-46500/- पूर्व संशोधित देतनमान रु.9100-15100/-) य रु.16400-40500/- देतनमानों में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक कार्यपालक अभियंता (यां) से पदोन्नति। या यांत्रिक इंजीनियरी विषय के डिप्लोमा अभियंता जिन्होंने रु.16400-40500/- के देतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जहाँ उस विषय में रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित देतनमान रु.9100-15100/-) वाला देतनमान न हो। महा पत्तन न्यास में संबंधित विषय में अपने रैंड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसंधी पदधारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रति नियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिधी का अंश (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रति नियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रति नियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में थ्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	कार्यपालक अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटिकेशन)	05	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-300-16750/-)	चयनित	35	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटिकेशन इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सारकारी उपक्रम में कार्यपालकीय संवर्ग में संबंधित विषय में 5 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, लेखन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय इंजिनियरी में डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रति नियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने थ्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) या अधिक य विजली इंजीनियरी विभाग में विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी विषय में रु. 20600-46500/- पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) चयनमानों में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त संस्यक कार्यपालक अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटिकेशन) से पदोन्नति। या विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स य कम्प्यूटिकेशन इंजीनियरी विषय के डिप्लोमा अभियंता जिन्होंने रु. 16400-40500/- के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जहाँ उस विषय में रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) वाला वेतनमान न हो। महान् पत्तन न्यास में संबंधित विषय में अपने थ्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसूची पदधारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमेलन/प्रति नियुक्ति की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमोलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अथवा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमोलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमोलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में श्रेष्ठ जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक)	02	प्रथम श्रेणी	रु. 24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 13000-350-18250/-)	चयनित	40	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था न से यांत्रिक इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय स्तर में संबंधित विषय में 9 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय में इंजिनियरी में डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमोलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने श्रेष्ठ में 4 वर्ष सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) व रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप से 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त कार्यपालक अभियंता (यों) से पदोन्नति। महा पत्तन न्यास में अपने श्रेष्ठ में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुरूपी पदधारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमोलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	व्या. यह पद चयनित या शीर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रति नियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ब्रेड बिसेसे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1											12	13
6	अधीक्षण अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन)	02	प्रथम श्रेणी	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000-350-18250/-)	चयनित	35	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालकीय स्तरों में संबंधित विषय में 5 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजिनियरी में डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	अपने ब्रेड में 4 वर्ष सेवायुक्त रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतन मानवाले कार्यपालक अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर एम एण्ड ई इंजिनियरिंग विभाग में इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन विषय में रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) य रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप से 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त कार्यपालक अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन) से पदोन्नति। महा चत्तन न्यास में अपने ब्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसूची पदधारी या सर्वग पदधारी अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	देया यह पद चयनित या नैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीपी भर्ती के (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेदन/प्रति नियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिशीलन अथवा (यहाँ मौ)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में रोड जिससे भर्ती की जाती है	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	उप मुख्य यांत्रिक अभियंता	01	प्रथम श्रेणी	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-208000/-)	चयनित	42	अतिरिक्त : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यवालीय स्तरों में संबंधित विषय में 12 वर्ष या अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं।	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति से आमेदन द्वारा ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेदन हेतु महा पत्तन न्यास में संबंधित विषय में अनुत्तरी पदधारी अधिकारी या यांत्रिक व विजली इंजीनियरी विभाग में संबंधित विषय में रु. 24900-50500/- वेतनमान के अपने रोड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधीक्षण अभियंता या उसके समतुल्य अधिकारी अथवा महा पत्तन न्यास में यांत्रिक व विजली इंजीनियरी विभाग में संबंधित विषय में अपने रोड में 2 वर्ष नियमित से तथा रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750/-) और रु. 24900-50500/- वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधीक्षण अभियंता या उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में यांत्रिक व विजली इंजीनियरी विभाग में अनुत्तरी पदधारी अधिकारी व अपने रोड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 24900-50500/- या उससे अधिक वेतनमानवाले अधीक्षण अभियंता और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे।	जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापय के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा बशर्तकि अभ्यर्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो। (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की सार्वजनिक पुनः सरचना, मार्च 2005 पर असांगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या पद घयनित या गैर घयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगमन/प्रति नियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचय या अन्य (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आगमन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आगमन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में रोल जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	उप मुख्य विपुल अभियंता	01	प्रथम श्रेणी	रु. 32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 16000-400-20800/-)	घयनित	42	(i) अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) औद्योगिक/या सिविल/या कारी उपक्रम में कार्यवालीय संवर्ग में संबंधित विषय में 12 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) हाँ (ग) नहीं।	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति से आगमन द्वारा ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आगमन हेतु महा पत्तन न्यास में संबंधित विषय में अनुसूची पदपारी अधिकारी या यांत्रिक व विजली इंजीनियरी विभाग में संबंधित विषय में रु. 24900-50500/- वेतनमान के अपने रोल में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अपेक्षणा अभियंता या उसके समतुल्य न्यास में यांत्रिक व विजली इंजीनियरी विभाग में संबंधित विषय में अपने रोल में 2 वर्ष नियमित से तथा रु. 20800-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750/-) और रु. 24900-50500/- वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त अपेक्षणा अभियंता या उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में यांत्रिक व विजली इंजीनियरी विभाग में अनुसूची पदपारी अधिकारी व अपने रोल में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 32900-58500/- या उससे अधिक वेतनमानवाले अपेक्षणा अभियंता और उसके समतुल्य पदपारी अधिकारी पात्र होंगे।	जैसाकि इस पद को पहलेवार तब रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापार के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, वरन्तकि अभ्यर्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो। (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की सर्वम पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)

घयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समय बंटिंग की रैचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचोषा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में रैंड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	मुख्य यांत्रिक अभियंता (वर्ग-II पद)	01	प्रथम श्रेणी	रु. 43200-66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 185002 3900/-)	चयनित	45	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त सिविलियन/संरचनात्मक यांत्रिक/विजली/इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूटिकेशन इंजिनियरिंग/नौ निर्माण में डिप्लोमा या उसके समतुल्य। या मर्गेट सिविल अभियंता, 1958 के अधीन जारी एम.ओ.टी.। श्रेणी का प्रमाण-पत्र (ii) किसी महा पत्तन न्यास/ऑटोमैटिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपकरण में मातृ हुलई उपकरण/विजली साधन/जहाज मरम्मत के अनुसंधानीय कार्य में कर्मचालीओं में 08 वर्ष अनुभव सहित यांत्रिक/विजली/संग्रहीय/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग कार्य में प्रबंधनिय हैसियत से 15 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं।	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति से आमेदन द्वारा ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेदन हेतु, महा पत्तन न्यास में यांत्रिक, विजली इंजिनियरिंग विभाग और समुद्री विभाग/केवल समुद्री अभियंता वर्ग पर लागू। में अनुसूची पदपारी अधिकारी या रु. 36600-62000/- वेतनमान के पद पर अपने रैंड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी या रु. 32900-58500/- वेतनमान के पद पर अपने रैंड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण/संयन्त्रणाधीन विभागों में यांत्रिक व विजली इंजिनियरी विभाग में अनुसूची पदपारी अधिकारी व अपने रैंड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 32900-58500/- या उससे अधिक वेतनमानवाले उप मुख्य यांत्रिक अभियंता और उसके समतुल्य पदपारी अधिकारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समय रेटिंग की रैंचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होनी चाहिए।	

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेहन/प्रति नियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचय क्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेहन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेहन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-1	01	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-)	चयनित	30	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था न से यात्रिक/विद्युत इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। वांछनीय : (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में संबंधित विषय में कार्यपालकीय स्तरों में 5 वर्ष का अनुभव। (iii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन में दो वर्ष का अर्हता परचात अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय में इंजीनियरी में डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा - 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% पदोन्नति द्वारा - 33.1/3%	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवापुस्त रु. 16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-II से पदोन्नति। अथवा सामग्री प्रबंधन मंडल की संबंधित विधा में वेतनमान 13600-32400/- में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो जहां उस विधा में वेतनमान रु. 16400-40500/- में कोई द्वितीय श्रेणी पद नहीं है।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेदन/प्रति निधि के मामले में लागू होंगे।	चरित्राका अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेदन/प्रति निधि द्वारा)	पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनिधि द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी	
1	उप सामग्री प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-)	चयनित	35	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी औद्योगिक यांत्रिक/संरक्षी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन/यांत्रिक इंजी./विजली इंजी. के क्षेत्र में कार्यपालकीय संवर्ग में पाँच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन स्नातकोत्तर डिग्री/विप्लोमा।	(क) नहीं, (ख) नहीं, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरी में डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेदन/प्रतिनिधि द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर, अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) से पदोन्नति, सहायक कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) से पदोन्नति। दोनों न होने पर सामग्री प्रबंधन विभाग/यांत्रिक व विजली इंजीनियरी विभाग में अपने ग्रेड में रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) से पदोन्नति तथा रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) एवं रु. 16400-40500/- वेतनमानों में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड। अथवा समतुल्य पद/सहायक कार्यपालक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) से पदोन्नति। अथवा वेतनमान रु. 16400-40500/- में डिप्लोमा इंजीनियर्स जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो उस उस विधा में वेतनमान रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) में जोड़ न हो। महा पत्तन न्यास में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसंधान पदधारी या सहाय पदधारी अधिकारी से आमेदन/प्रतिनिधि की जाएगी।	13	

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित वैश्विक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) वैश्विक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	11	12	13	टिप्पणी
1														
12	वरिष्ठ उप सामग्री प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी	रु.24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.13000-18250/-)	चयनित	35	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन/यांत्रिक इंजी./विजली इंजी. के क्षेत्र में कार्यपालकीय संदर्भ में नौ वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।	(क) नहीं (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजिनियरी में डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।		अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 10750-16750/-) वेतनमानवाले उप सामग्री प्रबंधक से पदोन्नति, ऐसा न होने पर, अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 10750-16750/-) वेतनमान में कार्यपालक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) से पदोन्नति। दोनों न होने पर सामग्री प्रबंधन विभाग/यांत्रिक व विजली इंजीनियरी विभाग में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त तथा रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 10750-16750/-) एवं रु 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु 9100-15100/-) वेतनमानों में संयुक्त रूप से 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप सामग्री प्रबंधक / कार्यपालक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) से पदोन्नति। महा पदतन न्याय में अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त अनुसूची पदधारी या साहस्य पदधारी अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।		

यातायात विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन ग्रेड (र.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सभी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सभी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सभी भर्ती संबंधी क) आयु ख) शैक्षणिक योग्यताएं ग) अनुभव, पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सभी भर्ती द्वारा अवस्था पदोन्नति/आमे लन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक यातायात प्रबंधक के-1	02	श्रेणी -1	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.9100-250-15100/-)	चयनित	30	अभियार्थकः- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री। वांछनीय :- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में डिप्टिंग/माल संचालन/रेलवे परिवहन में 2 वर्ष कार्यपालकीय अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सभी भर्ती द्वारा-33.1/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सभी भर्ती द्वारा- 66.2/3%	अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवापुलत रु 16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक यातायात प्रबंधक से पदोन्नति। अथवा यातायात विभाग की संबंधित विभाग में जहां वेतनमान रु 16400-40500 में कोई श्रेणी-11 का पद नहीं है वहां वेतनमान रु 13600-32400 में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	पर्यवेक्षण	वेतन मान (रु.)	वया शुरु पद चयनित या और चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	वया सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमे लन/प्रतियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचयना अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमे लन/प्रतियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमे लन/प्रतियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में श्रेष्ठ जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक	02	प्रथम श्रेणी - I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान - 10750-300-16750/-)	चयनित	35	अविवर्धनीय :- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। वांछनीय :- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सिविल/माल/संचालन/रेलवे परिवहन में 5 वर्ष कार्यपालकीय अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमे लन/प्रतियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	अपने श्रेष्ठ में 5 वर्ष नियुक्त सेवायुक्त 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतनमान वाले सहायक यातायात प्रबंधक से। ऐसा न होने पर, 2-तयत विभाग के संबंधित नियम में रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतनमान वाले श्रेष्ठ में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) व रु. 16400-40500/- के वेतनमान में आयुक्त रूप से 8 वर्ष नियुक्त सेवायुक्त सहायक यातायात प्रबंधक श्रेष्ठ - I से पदोन्नति। महा पदतन न्याय में अनुसूची पदधारी का अपने श्रेष्ठ में 5 वर्ष नियुक्त सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतनमान वाले सहायक यातायात प्रबंधक श्रेष्ठ - I पदधारी का आमे लन/प्रतियुक्ति किया जाएगा।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिबीसा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ आमे लन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	उप यातायात प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी -I	24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 130003 50-18250/-)	चयनित	35	अतिरिक्त:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री। या राष्ट्रीय किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में शिपिंग/माल संचालन/रेलवे परिवहन में 9 वर्ष कार्यपालकीय अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने ग्रेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतनमानवाले सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड-1 से, ऐसा न होने पर, यातायात विभाग के संबंधित विषय में रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतनमानवाले ग्रेड में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) व रु. 16400-40500/- के वेतनमान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड - I से पदोन्नति। भारत पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी या अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) के वेतनमानवाले सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड - I पदधारी का आमे लन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या और चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (यहाँ में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिीक्षा अवधि (यहाँ में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा उभयपक्ष पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में गेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी -1	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.16000-400-20800/-)	चयनित	42	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री। वांछनीय :- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में शिपिंग/माल संचालन/रेलवे परियहन में 12 वर्ष कार्यपालकीय अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमे लन/प्रतिनियुक्ति के न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमे लन हेतु, महा पत्तन न्यास में यातायात विभाग के संबंधित विषय में अनुसूच पदधारी या अपने गेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त 24900-50500/- के वेतनमानवाले उप यातायात प्रबंधक और उसके समतुल्य अधिकारी या महा पत्तन न्यास में यातायात विभाग के संबंधित विषय में अपने गेड में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.10750-16750/-) और रु. 24900-50500/- वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक यातायात प्रबंधक और उसके समतुल्य पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूप पदधारी या यातायात विभाग के संबंधित विषय में अपने गेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 24900-50500/- या उससे अधिक वेतनमानवाले वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक या उसके समतुल्य पदधारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर की समय शैडिंग में बैचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होनी चाहिए।	जैसाकि इस पद को पहली बार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापार के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, वरन्तकि अभ्यर्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो। (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	वया यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	वया सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगे सन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में रैंड जिससे भर्ती की जानी है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	यातायात प्रबंधक	01	प्रथम श्रेणी (विभागाध्यक्ष)	रु. 43200-66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 185004-50-23900/-)	चयनित	45	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री । वांछनीय :- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालक संवर्ग में शिपिंग/माल संचालन/रेलवे परिवहन में 15 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में यातायात विभाग के संबंधित विषय में अपने रैंड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 36600-62000/- के वेतनमानवाले अनुशूची पदधारी या महा पत्तन न्यास में रु. 32900-58000/- के वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी निकायों में अनुशूची पदधारी या यातायात विभाग के संबंधित विषय में अपने रैंड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 24900-50500/- या उससे अधिक वेतनमानवाले वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक या उसके समतुल्य पदधारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर की समय रेडिंग में वैचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होनी चाहिए।	

चिकित्सा विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या और चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी क) आयु श्र) शैक्षणिक योग्यताएं ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेदन / प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अधिष्ठा (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेदन / प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में शेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1						7	8	9	10	11	12	13
1	चिकित्सा अधिकारी	05	श्रेणी -I	2060-4650/- (पूर्व संगोष्ठित वेतनमान रु. 9110-250-15100/-)	लागू नहीं है	35	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री या चिकित्सा अधिकारी (दंत) हेतु, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस डिग्री। (ii) एक वर्ष इंटरनशिप की समाप्ति के पश्चात् अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री।	लागू नहीं है	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं है	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिशीला अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जनरल ड्यूटी)	05	श्रेणी -I	20600-46500/- - (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9110-250-15100/-)	लागू नहीं है	40	(i) अनिवार्य:- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री या चिकित्सा अधिकारी (दंत) हैतु, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस डिग्री। (ii) एक वर्ष इंटरनशिप की समाप्ति के पश्चात् अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। :- यांछनीय किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री।	(क) नहीं (ख) हों (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9110-250-15100/-) वेतनमान वाले चिकित्सा अधिकारी से पदोन्नति। महा पत्तन न्यास में अपने ग्रेड में 5 वर्ष अनुभवयुक्त अनुरूपी पदधारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमेदन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन शान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	रीढ़ी भा. की ति. अंकित न आयु सीमा (वर्षों में)	सीढ़ी मर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीढ़ी मर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीढ़ी मर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में गेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	08	श्रेणी - I	24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 1350-350-18250/-)	लागू नहीं है	42	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री। (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा विशेषज्ञता में स्नातोकोत्तर मेडिकल डिग्री। (iii) वांछनीय :- (iii) विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में विख्यात चिकित्सालय में 7 वर्षों या योग्यताएं अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीढ़ी मर्ती द्वारा।	अपने गेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) वेतनमान वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से पदोन्नति। ऐसा न होने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी.डी.) जिनके पास उस क्षेत्र में स्नातोकोत्तर अर्हता है और उस गेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो। महा पत्तन न्यास में साक्ष्य पदसारी अथवा रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) वेतनमान और उसी गेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	असंगति समिति की रिपोर्ट 5(बी) के अनुसार जहाँ 5 से अधिक विशेषज्ञ हैं वहाँ औषधि, चिकित्सा, स्त्रीरोग, बालचिकित्सा और विकलांग विज्ञान विधा में प्रत्येक 01 विशेषज्ञ होना चाहिए। यदि विशेषज्ञों की संख्या 5 से कम है तो इन विधाओं में से किसी भी विधा से विशेषज्ञों बनाया जाएगा। तदनुसार पत्तन द्वारा प्रत्येक विधा में विशेषज्ञों की संख्या पर निर्णय लिया जाएगा।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	चैतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के माकले में लागू होंगे।	परिचोषा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के माकले में श्रेष्ठ जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	02	श्रेणी -I	रु. 329 00- 58000/- (पूर्व संशोधित चैतनमान)	चयनित	45	(i) अनिवार्य:- मान्यताप्राप्त विषयविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विषयविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री। (iii) विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्र में अस्पताल में 10 वर्ष का अर्हता परचात अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में चिकित्सा विभाग के संबंधित विषय में अनुरूप पदधारी या अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त 24900-50500/- के चैतनमानवाले उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और उसके समतुल्य विशेषज्ञ पदों या महा पत्तन न्यास में चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ यों में अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवा तथा रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित चैतनमान रु. 10750-16750/-) और रु. 24900-50500/- चैतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और उसके समतुल्य विशेषज्ञ पद पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों स्वायत्तशासी निगमों में अनुरूप पदधारी या चिकित्सा विभाग के संबंधित विषय में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 24900-50500/- या उससे अधिक चैतनमानवाले उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके समतुल्य विशेषज्ञ पदधारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर की समय चेडिंग में श्रेष्ठतमक 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए।	जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्वापय के रूप में इसे भरने हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। पाले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, बशर्तकि अभ्यार्थी भर्ती नियम को पूरा करता हो। (संदर्भ-पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संदर्भ पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क)

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या नैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वर्ग- II पद)		श्रेणी -I	रु.43200-66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.18500-450-23900/-)	चयनित	50	(i) अनिवार्य:- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री। (iii) विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्र में अस्पताल में 13 वर्ष का अर्हता पश्चात् अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, मूल पत्तन न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.36000-62000/- वेतनमानवाले अधिकारी या चिकित्सा विभाग में अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- वेतनमानवाले पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र या स्वायत्त निकाय में चिकित्सा विभाग में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- और उससे अधिक वेतनमानवाले चरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उसके समतुल्य विशेषज्ञ पदधारी पात्र होंगे। चयन अर्हता आधारित होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र ग्रेडिंग की वैचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होनी चाहिए।	

सिविल अभियांत्रिकी विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधे भर्ती संबंधी क) आयु ख) शैक्षणिक योग्यताएं ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में बेंड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल)	14	श्रेणी - I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9110-250-15100/-)	लागू नहीं है	30	अतिरिक्त:- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। वांछनीय :- औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में विशेषकर पत्तन तथा समुद्री संरचनाओं की योजना/निर्माण/डिजाइन/अनुसंधान का कार्यकारी संवर्ग में 2 वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% पदोन्नति द्वारा - 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% पदोन्नति द्वारा - 33.1/3%	अपने बेंड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक अभियंता (सिविल) तथा अभियांत्रिक विभाग के अन्य गैर-वर्ग पदों से पदोन्नति। या अभियांत्रिक विभाग की संबंधित विधा में जहाँ उस विधा में रु. 16400-40500/- के वेतनमान में कोई श्रेणी- II पद नहीं है तब रु. 13600-32400/- वेतनमानवाले और उस बेंड में 5 वर्ष की नियमित सेवायुक्त श्रेणी- III कर्मचारियों से पदोन्नति।	

235

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद घयनित या गैर घयनित है	सीपी भर्ती के लिए अपेक्षित आयु सीमा (वर्षों में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिधि क्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में श्रेष्ठ शिर्षक भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	सहायक कार्यवाहक अभियंता (नगर योजना)	01	श्रेणी - I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9110-250-15100/-)	घयनित	30	अभियंता:- किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से विधि में डिग्री। बोर्डनिय - किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में नगर योजना/संपदा प्रबंधन/मूल्यंकन में दो वर्ष की कार्यपालकीय अनुभव	(क) नहीं। (ख) नहीं, लेकिन मान्यताप्राप्त विद्यालय से संबंधित विषय में डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	21 अगस्त 2012 तक सीपी भर्ती द्वारा 33.1/3% पदोन्नति द्वारा 66.2/3% 21 अगस्त 2012 के बाद सीपी भर्ती द्वारा 66.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	अपने श्रेष्ठ में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 16400-40500/- वेतनमानवाले सहायक अभियंता (सिविल) तथा अभियंता विभाग के अन्य गैर-वर्ग से पदोन्नति। या अभियंता विभाग की संशोधित विधा में जहाँ उस विधा में रु. 16400-40500/- के वेतनमान में कोई श्रेणी- II पद नहीं है तब रु. 13600-32400/- वेतनमानवाले और उस श्रेष्ठ में 5 वर्ष की नियमित सेवायुक्त श्रेणी- III कर्मचारियों से पदोन्नति।	
3	कार्यपालक अभियंता (सिविल)	01	श्रेणी - I	20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-300-16750/-)	घयनित	35	अभियंता:- (i) मान्यताप्राप्त विद्यालय/संस्था न से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में प्रमुखतः पल्लन व समुद्रीय ढांचों की प्लानिंग/निर्माण/डिजाइन/अनुसंधान में कार्यपालकीय संवर्ग में नौ वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) नहीं, किन्तु मान्यताप्राप्त विद्यालय/संस्था न से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	अपने श्रेष्ठ में 5 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) वेतनमानवाले सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर सिविल इंजीनियरी विभाग के संशोधित विधा में अपने श्रेष्ठ में सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) वेतनमान में 2 वर्ष और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) एवं रु. 16400-40500/- वेतनमानों में संयुक्त रूप में 8 वर्ष नियमित सेवायुक्त सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) से पदोन्नति। महा पल्लन न्यास में ऊपर बताने के अनुसार अनुभवयुक्त अनुसंधान पदधारी अधिकारी या संलग्न पदधारी अधिकारी से आमेदन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में श्रेष्ठ जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	अधीक्षक अभियंता (सिविल)	09	श्रेणी - I	रु. 24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 130001-82500/-)	चयनित	40	अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में प्रमुखतः पत्तन व समुद्रीय ढांचों की प्लानिंग/निर्माण/डिजाइन/अनुसंधान में कार्यपालकीय संवर्ग में तीन वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, फिर भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य जरूरी है। (ग) नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने श्रेष्ठ में 4 वर्ष नियमित सेवामुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) से वेतनमानवाले कार्यपालक अभियंता (सिविल) से पदोन्नति, ऐसा न होने पर सिविल इंजीनियरी विभाग के संबंधित शिफा में अपने श्रेष्ठ में सेवामुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) से वेतनमान रु. 10750-16750/-) एवं रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100/-) से वेतनमानों में संयुक्त रूप में 9 वर्ष नियमित सेवामुक्त सहायक कार्यपालक अभियंता से पदोन्नति। महा पत्तन न्यूनतम में ऊपर बताने के अनुसार अनुभवमुक्त अनुसूची पदधारी अधिकारी या संवर्ग पदधारी अधिकारी से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	चर्चाकरण	वैतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	उप मुख्य अभियंता (सिविल)	01	श्रेणी -I	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित धेतनमान रु.16000-400-20800/-)	चयनित	42	(i) अनिवार्य:- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में प्रमुखतः पल्लन य समुद्रीय ढांचों की प्लानिंग/निर्माण/डिजाइन/अनुसंधान में कार्यपालकीय संवर्ग में बारह वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं।	2 वर्ष	मिश्रित पद्धति के माध्यम से आमेलन द्वारा, ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, महा पल्लन न्यास में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या सिविल इंजीनियरी विभाग के संबंधित विषय में अपने वेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.24900-50500/- धेतनमानवाले अधीक्षक अभियंता और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी या सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित विषय में अपने वेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त और रु.20600-46500/- (पूर्व संशोधित धेतनमान रु.10750-16750/-) और रु.24900-50500/- धेतनमानों में संयुक्त रूप में 7 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधीक्षक अभियंता और उसके समतुल्य पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित विषय में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने वेड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58500/- धेतनमानवाले अधीक्षक अभियंता व उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समय शेडिंग की वैधमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होनी चाहिए।	जैसाकि इस पद को पहलीवार नए रूप से सृजित किया गया है अतः पूर्णप्राय के रूप में इसे भर्ती हेतु भर्ती की कोई मिश्रित पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। पहले पदोन्नति द्वारा इस पद को भरा जाएगा, यद्यपि अर्धवर्षीय भर्ती नियम को पूरा करता हो। (संदर्भ-पल्लन एवं शोदी अधिकारियों की संवर्ग पुनः संरचना, मार्च 2005 पर असंगति समिति की रिपोर्ट 5 (क))

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	शर्तोंकरण	वेतन मान (र.)	क्या वह पद चयनित या गैर चयनित है	सीपी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (यहाँ में)	सीपी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीपी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिपोषा अवधि (यहाँ में)	भर्ती का तरीका (यदि सीपी भर्ती द्वारा अपना पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में बेंड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	मुख्य अभियंता	01	श्रेणी -I (विभागाध्यक्ष)	रु. 43200/- 6000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 18500-450-23900/-)	चयनित	45	(i) अनिवार्य:- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था न से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में प्रमुखतः पत्तन व समुद्रीय ढांचों की प्लानिंग/निर्माण/डिजाइन/अनुसंधान में कार्यपालकीय संवर्ग में पन्द्रह वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं।	2 वर्ष	मिश्रित पद्धति के माध्यम से आमेलन द्वारा, ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, और दोनों तरीकों से न होने पर सीपी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेलन हेतु, मूल पत्तन न्यास में सिविल इंजीनियरी विभाग में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने बेंड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 36600-62000/- वेतनमानवाले पदधारी अधिकारी या अपने बेंड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 32900-58000/- पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित विषय में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने बेंड में 3 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 32900-58500/- वेतनमानवाले अधीक्षक अभियंता व उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे। चयन अर्हता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समय शेडिंग की वैचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होनी चाहिए।	

सतर्कता स्कंध, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमे तन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमे तन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमे तन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में श्रेष्ठ जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	रु. 24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 13000-350-18250/-)	चयनित	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	02	महा पत्तन न्यासों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	महा पत्तन न्यासों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त शासी निकायों में अनुवृत्ति पदधारी अधिकारी अथवा अपने श्रेष्ठ में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-)। वेतनमानवाले अधिकारी, ऐसा न होने पर, रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) और रु. 20600-46500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 9100-15100) वेतनमानों में संयुक्त रूप में 9 वर्ष नियमित सेवायुक्त अधिकारी। सतर्कता कार्य में अनुभव रखनेवालों को वरीयता दी जाएगी।	साधारणतः प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी, और किसी भी हालत में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
2	मुख्य सतर्कता अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी (विभागाध्यक्ष)	रु. 43200-66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 18500-23900/-)	चयनित	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	02	अखिल भारत/केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	भारत सरकार के उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी जो नियुक्ति हेतु पात्र हैं।	साधारणतः प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी, और किसी भी हालत में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

समुद्री विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	वया यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	वया सीधी भर्ती संबंधी क) आयु ख) शैक्षणिक योग्यताएं ग) अनुभव, पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमे लन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमे लन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में श्रेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी	
1	उप संरक्षक (वर्ग- I पद)	01	श्रेणी - I (विभागाध्यक्ष)	रु. 43200-66000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 18500-450-23900/-)	चयनित	48	अनिवार्य:- (i) भारत सरकारी के पोत परियोजना मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्रधारी या भारत सरकार के पोत परियोजना मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त उसके समतुल्य अर्हता। (ii) पाइलट लाइसेन्स होनी चाहिए और विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में या पाइलटिंग या संघी के रूप में 08 वर्ष का अनुभव।	9	10	11	12	13
							(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं।	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति से आमे लन द्वारा, पेशा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमे लन हेतु, महा पत्तन में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने श्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 36600-62000/- वेतनमानवाले हार्बर मास्टर पद पर कार्यरत अधिकारी यात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने श्रेड में 2 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 36600-62000/- और उससे अधिक वेतनमान के हार्बर मास्टर और उसके समतुल्य श्रेक वर्ग के पद पर कार्यरत अधिकारी। चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समय ग्रेडिंग की वैचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होनी चाहिए।		

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या और चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेन/प्रतियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेन/प्रतियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेन/प्रतियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ब्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	हार्बर मास्टर	01	श्रेणी -I	रु.366 00-62000 /- (पूर्व संशोधित देतनमान रु.1750 0-400-22300 /-)	चयनित	45	अनिवार्य:- (i) भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में संक्षमता प्रमाणपत्रधारी या भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त उसके समतुल्य अर्हता। (ii) पाइलट लाइसेंस होनी चाहिए और विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में या पाइलटिंग या संघर्ष के रूप में 03 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं।	2 वर्ष	मिश्रित पद्धति के माध्यम से आमेन द्वारा, ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतियुक्ति द्वारा, और दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति से आमेन हेतु, महा पत्तन में अनुरूपी पदधारी अधिकारी या अपने ब्रेड में 5 वर्ष नियुक्त संयुक्त रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित देतनमान रु.14500-18700 जिसे रु.6000-22300/- तक उन्नत किया गया) और अधिक देतनमानवाले पायलट पद पर कार्यरत अधिकारी पात्र होंगे। हेतु, सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में उपर्युक्त अनुभव प्राप्त अनुरूपी पदधारी अधिकारी या पायलट और उसके समतुल्य एक वर्ग के पद पर कार्यरत अधिकारी पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र रेडिंग की दृष्टिकोण 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होनी चाहिए।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिक तम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ब्रेड जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	पायलट	05	प्रथम श्रेणी	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.14500-350-18700/-)	लागू नहीं है	40	(i) अनिवार्य:- भारत सरकारी के पोत परियहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जहाज के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्रधारी या भारत सरकार के पोत परियहन मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त उसके समतुल्य अर्हता। (ii) विदेशगामी जहाज में मास्टर/मुख्य अधिकारी के रूप में एक वर्ष का अर्हता परचात अनुभव।	लागू नहीं है	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं है	पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग संरचना पर असंगति समिति, 2005 की रिपोर्ट 5(ख) में की गई सिफारिश के अनुसार रु.14500-18700/- पर वेतनमान कार्यरत अधिकारियों के वेतन स्वतःपूर्ण रूप से 16000-20800/- (संशोधित वेतनमान रु.32900-58000/-) तक बढ़ जाएगा। अतः 6 पायलटों के वेतनमानों को रु.32900-58000/- रु. तक बढ़ाया जाएगा।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आने लान/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिचीका अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आने लान/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आने लान/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में श्रेष्ठ जिससे भर्ती की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	उप समुद्री अभियंता	2	प्रथम श्रेणी	रु. 20600-465000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-300-16750/-)	लागू नहीं है	35	(i) मर्चेट सिपिंग अधिनियम, 1958 के अधीन जारी एमओटी - श्रेणी मोटर प्रमाणपत्र। (ii) किसी विदेशगामी जहाज में स्वतंत्र रूप से बोर्ड पर याच कीपिंग इंजीनियर के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं है	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं है	
5	वरिष्ठ उप समुद्री अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	रु. 24900-50500/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 13000-350-18250/-)	चयनित	40 वर्ष से अधिक नहीं	(i) मर्चेट सिपिंग अधिनियम, 1958 के अधीन जारी एमओटी - श्रेणी मोटर प्रमाणपत्र। (ii) किसी विदेशगामी जहाज में स्वतंत्र रूप से बोर्ड पर याच कीपिंग इंजीनियर के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।	क) नहीं खाई ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आने लान/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अपने श्रेष्ठ में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु. 20600-465000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-16750/-) से वेतनमानवाले उप समुद्री अभियंता पद से पदोन्नति। महा पत्तन न्यास में अनुसूची पदधारी अधिकारी का अपने श्रेष्ठ में रु. 20600-465000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 10750-300-16750/-) से वेतनमान में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त उप समुद्री अभियंता पद पर कार्यरत अधिकारियों में से आने लान/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	बया यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	बया सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आवेदन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परिक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आवेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आवेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में बंद जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	समुद्री अभियंता	01	प्रथम श्रेणी	रु.32900-58000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु.14500-350-18700/-)	लागू नहीं है	40वर्ष		अनिवार्य:- (i) मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के तहत जारी एमओटी। श्रेणी मोटर प्रमाण-पत्र। (ii) विदेशगामी जहाज के बोर्ड पर मुख्य अभियंता/दूसरे इंजीनियर के रूप में एक वर्ष का अर्हता पश्चात अनुभव।	लागू नहीं है	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं है	पत्तन एवं गोदी अधिकारियों की संवर्ग संरचना पर असंगति समिति, 2005 की रिपोर्ट 5(ख) में की गई सिफारिश के अनुसार रु.14500-18700/- वेतनमान पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन स्वतःपूर्ण रूप से 16000-20800/- (संशोधित वेतनमान रु.32900-58000/-) तक बढ़ जाएगा। अतः मौजूदा टरा अभियंता के पद को वरिष्ठ समुद्री अभियंता के पद पर उन्नत किया जाएगा।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु.)	क्या यह पद चयनित या गैर चयनित है	सीधी भर्ती के लिए अधिक तम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती संबंधी (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएं (ग) अनुभव, पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे।	परीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (यदि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में गेड जिससे भर्ती की जानी है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	वरिष्ठ समुद्री अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	रु.329 00-58000 /-(पूर्व संशोधित वेतनमान रु.1600 0-400-20800 /-)	लागू नहीं है	44	अनिवार्य:- (i) मर्चेट शिपिंग अधिनियम 1958 के तहत जारी एमओटी। श्रेणी मोटर प्रमाण-पत्र। (ii) विदेशवासी जहाज के बोर्ड पर मुख्य अभियंता/दूसरे इंजीनियर के रूप में संयुक्त रूप से पांच वर्ष का अनुभव।	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आगेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	अपने गेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- वेतनमानवाले समुद्री अभियंता पद से पदोन्नति। निश्चित पदवृत्ति से आगेलन हेतु, महा पत्तन न्यास में अनुसूची पदधारी अधिकारी या अपने गेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- वेतनमानवाले समुद्री अभियंता में से आगेलन किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में अनुसूची पदधारी अधिकारी या अपने गेड में 4 वर्ष नियमित सेवायुक्त रु.32900-58000/- वेतनमानवाले समुद्री इंजीनियर वर्ग के उसके समतुल्य अधिकारी पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए एसीआर में समग्र डेटिंग की वैधता के बहुत अग्रिम से नीचे नहीं होनी चाहिए।	

[फा. सं. पी. आर.-12012/7/2003-पी.ई. 1]

एकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2011

G.S.R. 386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011 made by the Board of Trustees of Paradip Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**PARADIP PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY
AND PROMOTION) REGULATIONS, 2011**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Paradip Port hereby makes the following regulations, namely

Short Title and Commencement:

1. (1) These Regulations may be called the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

Application

2. These regulations shall apply to all posts created under Section 27 of the Act under the Board including those covered by clause (a) of sub-section (1) of Section 24 of the Act.

Definition

3. In these regulations, unless the context otherwise requires
 - (a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).
 - (b) "Analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made.
 - (c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post means the authority empowered under the Paradip Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1967, to make appointment to that grade or post.

(d) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act.

(e) "Class I Posts", "Class II Posts", "Class-III posts" and "Class-IV posts" shall have the same meaning as assigned to them in Regulation 4 of the Paradip Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1967.

(f) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted from time to time under regulation 26 for the purpose of making recommendation for promotion to or confirmation in any grade or post.

(g) "Direct Recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test and/or interview by Services Selection Committee.

(h) "Employee" means an employee of the Board.

(i) "Grade" means any of the grades specified in the Schedule of Employees prepared and sanctioned under Section 23 of the Act.

(j) "Lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior-most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade.

(k) "Permanent Employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post.

(l) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.

(m) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.

(n) "Select List" in relation to any grade or post means the select list prepared in accordance with regulation 13 for that grade or post.

(o) "Selection Post" means a post declared as such under regulation 5 of these regulations.

(p) "Services Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 12 for the selection of candidates by means of a written test, a

trade test and/or interview for appointment to posts reserved for direct recruitment.

(q) "Temporary Employee" means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board.

MANNER OF APPOINTMENT

4. All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation will be of employees from the Major Port, Central Govt., State Govts., autonomous bodies, Govt. Companies fulfilling the criteria or eligibility prescribed for the post. The normal period of deputation is 3 years which is extendable to four years. In exceptional circumstances, this can be extended to five years.

SCHEDULES

5. The manner of appointment i.e. whether by direct recruitment or by departmental promotion or absorption or deputation, the qualifications, age, education, training, requirements of experience, classification of posts as selection posts or non-selection posts and other matters connected with the appointments to various posts shall be shown in the Schedule annexed to these Regulations in respect of Class-I posts. In respect of Class-II, Class-III and Class-IV posts the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time. The Schedule shall also show the authorized permanent and temporary strength of the various grades as shown in the Schedule of Employees prepared under the provisions of Section 23 of the Major Port Trusts Act, 1963. This strength is liable to change from time to time under the provisions of Section 27 of the Major Port Trusts Act, 1963. The eligibility requirements prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in Column 9 of the schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in Column 12 of the schedule.

Provided that the prescribed upper age limits may be relaxed by the Central Govt. in case of HODs and by Chairman in all other cases for reasons to be recorded in writing for direct recruitment/absorption/deputation as under :-

- (i) upto 5 years where the minimum experience prescribed is 10 years or more and upto 3 years where the minimum experience prescribed is 5 to 9 years.

- (ii) In the case of a candidate who is an ex-serviceman, i.e. ex-employee of India's Defence Forces, and who has put in not less than 6 months continuous service in the Defence Forces, upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces plus three years where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such ex-servicemen and dependants of those killed in action and upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy and
- (iii) In the case of a candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or other backward classes in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard.

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Govt. in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Govt. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

ROSTER OF VACANCIES

6. A roster shall be maintained for each grade to show whether a particular vacancy should be filled by direct recruitment or promotion. However, if a vacancy which is reserved for direct recruitment cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy shall be filled by direct recruitment. Similar practice can be followed in the case of a vacancy reserved for promotion but cannot be filled by promotion method.

RESERVATION

- 7. [1] Orders issued by the Central Government from time to time for reservation of posts under it, whether to be filled by direct recruitment or promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall apply mutatis mutandis to all appointments covered by these regulations.
- [2] Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts under it in favour of other backward classes, ex-servicemen and dependants of those killed in action, Sportsmen and physically handicapped persons shall also apply mutatis mutandis to appointments covered by these regulations and to which direct recruitment is made.

**NATIONALITY, CHARACTER, PHYSICAL FITNESS ETC. FOR
DIRECT RECRUITMENT:**

8. (1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be —

- (a) a Citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairman may, from time to time require. Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India;

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary may be provisionally appointed, pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government, as the case may be. In such cases the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

(2) The Chairman may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these regulations.

(3) No person.

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any grade or post to which these regulations apply.

Provided that the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub regulation. 7239

(4) A candidate must satisfy the appointing authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to any grade or post.

(5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board. A candidate who after such medical examination as the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may specify, is found not to satisfy those requirements shall not be appointed.

(6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Govt. In case of HODs and Chairman in all other cases.

ELIGIBILITY OF EXISTING EMPLOYEES FOR DIRECT RECRUITMENT

9. When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided they possess the prescribed qualifications and experience. Age limit in such cases will not apply.

ADVERTISEMENT OF VACANCIES

10. [1] Vacancies of Class-III and Class-IV posts to be filled by direct recruitment shall be notified to the local Employment Exchange. In case sufficient number of eligible and suitable candidates are not available, the vacancies be advertised in Newspapers published within the State. Class-I and Class-II posts intended to be filled by direct recruitment shall be advertised in national and local dailies and/or Employment News.

[2] The crucial date for determining the qualification, experience and age shall be the first day of the month in which the post is notified/advertised unless otherwise specified.

CONDUCT OF WRITTEN OR SKILL TESTS IN CERTAIN CASES:

11. The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officer who should hold the said test and the manner in which the test should be held and other details thereof. It shall be open to the Appointing Authority to engage a consultant or a firm of consultants to conduct a written or skill test.

SERVICES SELECTION COMMITTEE:

12. [1] There shall be a Services Selection Committee for each grade or post, as mentioned in sub regulation (2) to conduct interviews of eligible candidates for making selection of candidates for appointment to different posts by direct recruitment.

[2] The category of posts and the composition of the Services Selection Committees referred to in sub regulation (1) shall be the following, namely:

a) For HODs

Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping - Chairman

Chairman of the Port - Member

Any other Port Chairman or an officer having wide Experience in the field to be nominated by the Ministry of Shipping - Member

Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Ministry of Shipping - Member

b) For Class I posts

i) Chairman - Chairman

ii) Deputy Chairman - Member

iii) HOD in charge of the Department in which the vacancy occurs. - Member

iv) HOD in charge of the Personnel - Member

v) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman - Member

(237)

c) For Class-II Posts

- | | | | |
|------|--|---|----------|
| i) | Deputy Chairman | - | Chairman |
| ii) | Head of the Department in which the vacancy arises | - | Member |
| iii) | Head of Department in charge of Personnel- | | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman | - | Member |

d) For Class-III and Class-IV posts (Common Categories)

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| i) | Deputy Chairman or in his absence, HOD nominated by the Chairman of the Board - | | Chairman |
| ii) | HOD in charge of Personnel | - | Member |
| iii) | A senior officer in the grade not below Rs.32900-58000/- to be nominated by the Chairman. | - | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman | - | Member |

e) For Class-III and Class-IV posts (Uncommon Categories)

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| i) | HOD, where the vacancy arises | - | Chairman |
| ii) | HOD in charge of Personnel | - | Member |
| iii) | A senior officer of the concerned Division in the grade not below Rs.32900-58000/- to be nominated by the Chairman. | - | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman | - | Member |

The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such a person is specialized in the relevant field. Where any member of a Services Selection

Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

(3) Where recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection, the composition of the committee shall be decided by the Chairman in each case.

13. SELECT LIST

The Services Selection Committee may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration of appointment to posts earmarked for direct recruits. Such a list shall be deemed to be valid for a period of 12 months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority. It is open to the Appointing Authority to extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved whichever is earlier.

14. CONSIDERATION OF RECOMMENDATIONS OF SERVICES SELECTION COMMITTEE AND ADHOC APPOINTMENTS

All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the concerned Services Selection Committee.

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of Services Selection Committee.

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairman and the authority disagrees with such recommendations in any case, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairman who shall decide the same.

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairman may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on ad hoc basis subject to the condition that:

(1) Ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.

(2) Total period of appointment to a temporary post will not exceed the tenure of the post.

(3) In other cases the temporary appointment should be replaced by a regular appointment from the select list as soon as possible.

15. CANVASSING SUPPORT A DISQUALIFICATION

Any endeavor on the part of a person to canvass support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify him for the appointment or promotion

16. SUPPRESSION OF FACTS A DISQUALIFICATION

Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or have suppressed material information of a character, which if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post, is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

17. CANCELLATION OF APPOINTMENT ORDER

If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

18. PAYMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE FOR ATTENDING INTERVIEW

In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board) may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews shall be at their own cost. However, candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted traveling allowance as per orders in this regard issued by the Central Government from time to time.

19. PROBATION PERIOD

(1) Every person appointed to a post by direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-regulation (2) & (3), be on

probation for a period of two years except in case of persons appointed on absorption basis through composite method of recruitment in the posts of HODs and Dy. HODs carrying the scales of pay of Rs.32900-58000/- and above.

Provided that where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the appointing authority.

Provided that, when the appointment is made by the direct recruitment and the post carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs.11,975/- (pre-revised), the period of probation shall be one year.

Provided that, there shall not be any probation in case of appointment by promotion within Class-III and Class-IV grades.

Provided further that, if an employee on probation to a grade or post is appointed to officiate in a higher grade or post, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or post to complete probation in his lower grade or post. Similarly, if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post, he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period (excluding Ad-hoc service) to complete probation in the grade or post.

(2) The period of probation may, if the appointing authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed one year.

(3) During the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the appointing authority may, from time to time, specify in this behalf.

20. CONFIRMATION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) General

(i) Confirmation will be made only once in the service of an employee which will be in the entry grade.

(ii) Confirmation is delinked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other words an officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation.

(2) Confirmation in the grade to which initially recruited

- (i) As at present, the appointee should satisfactorily complete the probation.
- (ii) The case will be placed before DPC (for confirmation).
- (iii) A specific order of confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

(3) On Promotion

(i) If the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer promoted on regular basis (after following the prescribed DPC, etc., procedure) will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have.

(ii) Where probation is prescribed, the appointing authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If, work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be.

Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

Confirmation of probationers: A person appointed against a permanent post as a direct recruit with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. The decision whether he should be confirmed or his probation extended should be taken soon after the expiry of the initial probationary period, i.e., ordinarily within 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension. Even though the meetings of the DPC may be held after the termination of the period of probation of direct recruits, a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. A probationer who is not making satisfactory

progress or who shows himself to be inadequate for the service should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make severe efforts at self-improvement.

In the case of probation, the DPC should not determine the relative grading of officers but only decide whether they should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the DPC may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.

21. DISCHARGE OR REVERSION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) If an employee on probation in his first appointment is not considered fit, on the basis of his conduct or performance, for confirmation at the end of the period of probation prescribed in regulation 19, he shall be discharged from the service of the Board.

(2) If an employee on probation who holds a lien on a post and does not complete the period of probation as specified under Regulation 19 to the satisfaction of the appointing authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.

(3) If an employee during the period of probation on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of performance or conduct or failure to pass the departmental test if prescribed, he shall be liable to be discharged from service at anytime if he has no lien on any post or reverted to the post in which he holds a lien.

22. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION, CONFIRMATION IN CERTAIN CASES:

The Chairman may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which shall be subject to the passing of a qualifying departmental test, if any. The Chairman may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

23. REVERSION DUE TO FAILURE IN DEPARTMENTAL TEST

An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairman from time to time, within such

period, as may be specified by him failing which the employee shall be reverted. When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test. 1231

24. SENIORITY LIST

An up-to-date gradation list indicating the inter-se seniority of the employees shall be maintained for each grade. The list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade. The list shall be circulated every year.

25. FIXATION OF SENIORITY

(1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned inter-se seniority according to rotation of vacancies between direct recruits and promotees, which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the schedule. In cases where exchange of vacancies has been resorted to as per Regulation 6, the seniority will be as per the mode of filling up.

(2) Direct recruits shall be ranked inter-se in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.

(3) Persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked inter-se according to the order in which they are approved for promotion by the Departmental Promotion Committee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these regulations shall remain unaffected.

26. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

(1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these regulations.

(2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in Regulation 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in Regulation 13.

27. FIELD OF SELECTION FOR PROMOTION

(1) Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with the prescribed recruitment rules employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.

(2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method:

- a) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit'. Only those who are graded 'fit' by the DPC shall be included and arranged in the select list in order of their inter-se seniority in the feeder grade. Those officers who are graded as 'unfit' by the DPC shall not be included in the select list.
- b) The Departmental Promotion Committees shall also consider the cases of eligible employees who are on foreign service or on study leave.
- c) The instructions issued by the Govt. from time to time on procedure to be followed in DPC proceedings in respect of Govt. servants shall mutatis mutandis apply.

Note:-For absorption to the post carrying pay scale of Rs.32900-58000/- and above and for which composite method of recruitment is adopted, the benchmark in the overall grading shall be 'Very Good'. In all other cases, the benchmark shall be "Good".

(3) For promotion to non-selection posts, where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be seniority-cum-fitness.

28. ADHOC APPOINTMENTS

In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the appointing authority may make a purely ad-hoc appointment to a post, by appointing the senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post up to a period of six months at a time and not exceeding one year or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee whichever is earlier. The ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.

29. COMPASSIONATE APPOINTMENTS

२२१

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chairman may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these regulations and appoint to a Class-III or Class-IV post the legitimate son or daughter or the surviving spouse of an employee of the Board, who dies while in service, if the person to be so appointed possesses the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable.

30. INTERPRETATION

In the application of these Regulations all the instructions of the Central Government is amended from time to time which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered will be followed.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these regulations, the matter shall be referred to the Chairman for a decision.

31. REPEAL AND SAVINGS

All the regulations, procedures, practices, and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedures, practices, and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

Recruitment Rules for Class-I Posts under Administrative Department, PPT

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2 Deputy Director (Resc-rob)	3 01	4 Class-I	5 Rs.20000-46500/- (Pre-revised Scale of Pay of Rs.10750-3000-16750/-)	6 Selection	7 35	8 Essential:- (i) Degree in Economics or Statistics or Mathematics from a recognized university/institution. (ii) Five years executive experience in planning or in collection, compilation and interpretation of data or in conducting field surveys, investigations etc. Desirable:- (i) Post Graduate degree/diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research and allied subjects from a recognized university/institution (ii) Knowledge of computer operations.	9 (a) No (b) Yes (c) No	10 2	11 By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment	12 Promotion from Assistant Director (EDPy) Assistant Secretary Gr.I in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing which Assistant Director (EDPy) Assistant Secretary Gr.IV other equivalent posts in the scale of pay Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) & Rs.16400-40500/- in the respective disciplines of P&R Division. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Assistant Director (EDPy) Assistant Secretary Gr.IV and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.20600-56400/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade in P & R Division a Major Port Trust	13

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Assistant Secretary Gr-I	01	Class-I	Rs.20600-46500/- (Pre-revised scale of pay of Rs.9100-250-15100/-)	Selection	30	<u>Essential</u> - A degree from a recognized University. <u>Desirable</u> - (i) Post Graduate degree/diploma in Personal Management/Industrial Relations/Social Work/ Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognized University/institution. (ii) Two years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	Upto 21 st Aug. 2012 By direct recruitment- 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 21 st Aug. 2012 By direct recruitment- 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Secretary Gr-II and all other Class-II posts such as PRO, PA, Manager GH, ALO, Welfare Officer, IBM, SRO, Asst. Manager (Estate) & Accounts Officer in the scale of pay of Rs.16400-40500/- with 3 years regular service in the respective grade(s) Or From Class-III employees in the scale of pay of Rs.13600-32400/- in the respective discipline of General Administration Department with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of pay of Rs.16400-40500/- in that discipline.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational qualifications prescribed by recruitment	Whether (a) age (b) educational qualification (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Senior Assistant Secretary	01	Class-I	Rs 20600-46500/- (Pre-revised scale of pay Rs.10750-300-16750/-)	Selection	35	Essential:- (i) A degree from a recognized University. (ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking. Desirable:- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognized University/Institution.	(a) No. (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Secretary Gr-I/ PS to Chairman/ Hindi Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing which Assistant Secretary Gr-I/ PS to Chairman/ Hindi Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) & Rs.16400-40500/- in the respective disciplines of General Admn. Dept.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Asstt. Secretary (Gr-II) PS to Chairman/ Hindi Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational qualifications prescribed by direct recruitment and other	Whether (a) age educational qualifications (b) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Senior Welfare Officer	01	Class-I	Rs.20600-46500/- (Pre-revised scale of pay Rs.10750-300-16750/-)	Selection	35	<u>Essential :-</u> (i) Degree from a recognized university. (ii) Degree or diploma in Social Science from a recognized university/institution. (iii) 5 years experience as a Labour Welfare Officer/Industrial Relations Officer in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. (iv) Knowledge of local language...	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Secretary Gr.I/ PS to Chairman / Hindi Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing which Assistant Secretary Gr.I/ PS to Chairman/ Hindi Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) and Rs.16400-40500/- in the respective disciplines of Personnel & IR Division Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Assistant Secretary Gr.I/ PS to Chairman/ Hindi Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) or equivalent posts in the respective disciplines of Per. & I.R. Div in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade in a Major Post Trust.

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational qualifications prescribed by recruitment and other direct	Whether (a) age educational qualifications (b) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made
1	PS to Chairman	01	Class-I	Rs. 20600-46500/- (Pre-revised scale of pay of 9100-250-15100/-)	Selection	30	Essential:- (i) A degree from a recognized university. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Five years experience as stenographer/PA in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from PA to HOD/PA to Dy. CH. In the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 3 years regular service in the grade. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 3 years regular service in the grade in a Major Port.
6	Sr. PS to Chairman	01	Class-I	Rs. 20600-46500/- (Pre-revised scale of pay Rs. 10750-300-16750/-)	Selection	35	Essential:- (i) A degree from a recognized university. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Eight years experience as stenographer/PA in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from PS to Chairman in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing which PS to Chairman with 2 years regular service in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) & Rs. 16400-40500/-. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 5 years regular service in the grade in a Major Port.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualification (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made
17	Sr. Assistant Estate Manager	01	Class-I	Rs. 20600-46500/- (Pre-revised scale of pay Rs. 10750-300-16750/-)	Selection	35	<u>Essential:</u> (i) Degree with a Post Graduate degree/diploma in Architecture/Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from a recognized university/institution or corporate membership of institution of Surveyor (India) (ii) Seven years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking <u>Desirable:</u> A degree in Law from a recognized university.	(a) No. (b) No. However Diploma from a recognized University/institution is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Secretary Gr-I/ Asst. Executive Engineer (TP) in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing which service in the grade failing which Assistant Secretary Gr-I/ Asst. Executive Engineer (TP) in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) & Rs. 16400-40500/- in the discipline in a Estate Division. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Assistant Secretary Gr-I/ AEE (TP) or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade in a Estate Division.

[PART II—SEC. 3(i)]

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age educational qualification (b) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/dep utation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/dep utation)	In case of promotion/absorption/dep utation, grades from which it should be made	The Officers having legal qualification in the post staff and in the pay scale of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) having legal qualification on the date of commencement of RSP Regulation will be absorbed in the post as per CR Order (1.13) dated 6.02.2004 irrespective of years of experience.	
1	8	2	01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Deputy Chief Law Officer	01	Class-I	Rs.24500-50500/- (Pre-revised scale of pay of Rs.13000-350-18250/-)	Selection	40	Essential: (i) Degree in Law from a recognized university. (ii) Nine years executive experience in a Legal Establishment of Industrial/Commercial/Govt. undertaking Desirable: Post Graduate degree in Law from a recognized university.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/dep utation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Assistant Secretary/ Senior Welfare Officer/ Senior Asst. Manager/ Sr Private Secretary to Chairman in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade failing which Sr. Assistant Secretary/ Senior Welfare Officer/ Senior Asst. Estate Manager/ Sr. Private Secretary to Chairman in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) & Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) in the discipline of legal division.	Absorption/dep utation will be of Officers holding analogous posts or Sr. Assistant Secretary/ Senior Welfare Officer/ Senior Asst. Estate Manager/ Sr. Private Secretary to Chairman or equivalent posts in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational qualifications prescribed by recruitment and other	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made
109	2 Deputy Secretary	3 01	4 Class-I	5 Rs. 24900-50500/- (Pre-revised scale of pay of Rs. 13000-350-18250/-)	6 Selection	7 40	8 Essential:- (i) A degree from a recognized university (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc in an Undertaking. Desirable:- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognized university/institution.	9 (a) No (b) Yes (c) No	10 2	11 By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	12 Promotion from Sr. Assistant Secretary / Sr. PS to Chairman/ Sr. Welfare Officer in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade failing which Sr. Assistant Secretary/ Sr. PS to Chairman/ Sr. Welfare Officer in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-) & Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) in the respective discipline of General Admin. Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Assistant Secretary/ Sr. PS to Chairman/ Sr. Welfare Officer in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made
10	Senior Deputy Secretary	01	Class-I	Rs. 32900-58000/- (Pre-revised scale of pay of Rs. 16000-400-20800/-)	Selection	42	Essential :- (i) A degree from a recognized university. (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable :- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognized university/institution.	(a) No (b) Yes (c) No	NA	11 By absorption through composite method which failing by deputation from other organizations and failing both by direct recruitment 12 For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD (such as CPRO/Dy. Estate Manager/Dy. Chief Law Officer/Personnel Officer) in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Deputy Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-) and Rs. 24900-50500/- in the respective discipline of GAD in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	As the post has been newly created for the first time, no composite method of recruitment may be adopted for filling in it as a one time measure. The recruitment to this post is made for the first time by promotion subject to fulfillment of RR. [Ref. S(a) of the Report of the Anomaly Committee on Cadre-restructuring of Port & Dock Officers March, 2005]

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age educational qualification (b) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Secretary (Category -II Posts)	1	Class-I (HOD)	Rs 43200/- 66000/- (Pre-revised scale of pay 18500-450-23900/-)	Selection	45	Essential :- (i) A degree from a recognized university (ii) Fifteen years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable :- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognized university/institution.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36500-62000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 32900-58000/- with 3 years regular service in the grade in the General Administration/Human Resources Development Deptt. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or post of Sr. Dy. Secretary and equivalent posts in the GAD/HRD the scale of pay of Rs. 32900-58000/- and above with 3 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".

Recruitment Rules for Class-I Posts under Finance & Accounts Department, PPT

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotions/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	Accounts Officer Gr-I	02	Class-I	Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 9100-250-15100/-)	Selection	30	Essential :- Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. Desirable :- Two years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No. however a degree from a recognized university is essential. (c) No	2	11 Up to 21 st Aug. 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 21 st Aug. 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	12 Promotion from Accounts Officer Gr-II/ Assistant Secretary Grade II in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 3 years regular service in the grade. OR From Class-III employees in the scale of pay of Rs 13600-32400/- in the respective discipline of Finance Deptt with 05 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs 16400-40500/- in that discipline.	13
2	Sr. Accounts Officer	02	Class-I	Rs 20600-46500/- (Pre-revised scale of pay of Rs 10750-300-16750)	Selection	35	Essential :- Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Five years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No. however a degree from a recognized university is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment	Promotion from Accounts Officer Gr-I/ Assistant Secretary Gr-I in the scale of pay of Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing which Accounts Officer Gr-I/ Assistant Secretary Gr-I in the scale of pay of Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 9100-15100/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 9100-15100/-) and Rs 16400-40500/- in respective disciplines of Finance Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Accounts Officer Gr-I/ Assistant Secretary Grade I in the scale of pay of Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation. Grades from which it should be made.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Deputy Chief Accounts Officer	1	Class-I	Rs.24900-50500/- (pre-revised scale of pay of Rs.13000-350-18250/-)	Selection	40	Essential:- Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Nine years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No. However a degree from a recognized university is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade failing which Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) and Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) in the respective disciplines of Finance Deptt.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
14	Senior Deputy Chief Accounts Officer	01	Class-I	Rs.32900-58000/- (pre-revised scale of pay Rs.16000-400-20800/7)	Selection	42	Essential: (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accounts of India. (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of finance, accounting in an industrial/commercial/Govt. undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organizations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. In the scale of pay of Rs.24900-50500/- with 3 years regular service in the grade Rs.24900-50500/- in a Major Port Trust or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. With 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay Rs.10750-16750/-) and Rs.24900-50500/- in the respective discipline of Finance Deptt. In a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. In the scale of pay of Rs.24900-50500/- in Govt. Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRA will not be below "Very Good".	13 As the post has been newly created for the first time, no composite method of recruitment may be adopted for filling in it as a one time measure. The recruitment to this post is made for the first by promotion subject to fulfillment of RR. [Ref. 5(a) of the Report of the Anomaly Committee on restructuring of Port & Dock Officers - March, 2005]

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of absorption/deputation. Grades from which it should be made	Remarks
15	Financial Advisor & Chief Accounts Officer (Category - II Posts)	301	Class-I (HOD)	Rs.43200-66000/- (pre-revised scale of pay of Rs.18500-450-23900/-)	Selection	45	Essential:- Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Fifteen years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	11 By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	12 For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36500-62000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900-58000/- with 3 years regular service in the grade in the Finance Deptt. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, officers holding analogous posts or officers holding posts of Sr. Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in the Finance Deptt. in the scale of pay of Rs.32900-58000/- and above in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.	13 The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very good".

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age educational qualifications (b) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Asst. Director (EDF)	01	Class-I	Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-250-15100/-)	Selection	30	Essential: Degree in Engineering/ Computer Science from a recognized university/ institution Or Degree in Maths/ Statistics/ Operational Research/ Economics with Post Graduate Diploma in Computer Application/ Computer Science/ Information Technology from a recognized university/ institution. Or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application/ Computer Science/ Information Technology from a recognized University/ institution. Desirable: (i) Post Graduate Degree in Maths/ Statistics/ Operational Research/ Economics or Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Application or Business Admin (PG Degree/ Diploma) with specialization in System or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognized	(a) NO (b) Yes ☐ NO	02	Upto 21st Aug 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 21st Aug 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Programmer in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 03 years regular service in the grade Or Promotion from Class-III employees in the scale of pay of Rs. 13600-32400/- in the respective discipline of P&R Divn with 05 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs. 16400-40500/- in that discipline.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Deputy Director (EDP)	01	Class-I	Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay Rs.10750-300-16750/-)	Selection	35	Essential: Degree in Computer Engineering/ Computer Sciences from a recognized university/ institution. Or Degree in Maths/ Statistics/ Operational Research/ Economics with Post Graduate Diploma in Computer Application/ Computer Science/ Information Technology from a recognized university/ institution. Or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application/ Computer Science/ Technology from a recognized university/ institution. (ii) Five years experience in Programming/ Electronics/ Data Processing/ System Design & Analysis and related fields. Desirable: (i) Post Graduate Degree in Maths/ Statistics/ Operational Research/ Economics or	(a) No (b) Yes (c) No	02	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Director (EDP) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 05 years regular service in the grade failing which Assistant Director (EDP) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 02 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) & Rs.16400-40500/- in the respective discipline of P&R Divn.	Absorption/ deputation will be of Officers holding analogous posts or Assistant Director (EDP) Assistant Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade of P&R Division in a Major Post Trust.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age qualifications (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Senior Deputy Director (EDP)	01	Class-1	Rs.24900-50500/- (pre-revised scale of pay of Rs.13000-18250/-)	Selection	40	(i) Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or System or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admin (PG degree/ diploma) with specialization in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognized university/ institution Essential: Degree in Engineering/ Computer Sciences from a recognized university/ institution. Or Degree in Maths/ Statistics/ Operational Research/ Economics with Post Graduate Diploma in Computer Applications/ Computer Science/ Information Technology from a recognized university/ institution. Or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application/ Computer Science/ Technology from a recognized university/ institution. (ii) Nine years experience in Electronics Programming/ Data Processing/ System Design	(a) No (b) Yes (c) No	02	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Director (EDP) Deputy Director (Research) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 04 years regular service in the grade falling which by Deputy Director (EDP) Deputy Director (Research) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 02 years regular service in the grade and a combined regular service of 09 years in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) & Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) in the respective discipline of P&R Divn.	Absorption/ deputation will be of officers holding analogous posts of Deputy Director (EDP) Deputy Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 04 years regular service in the grade in P&R Division in a Major Port Trust.

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							& Analysis and related fields. Desirable:- (i) Post Graduate Degree in Maths/ Statistics/ Operational Research/ Economics or (ii) Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or System or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admin. (PG degree/ diploma) with specialization in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognized university/ institution					

Recruitment Rules for Class-I Posts under E&M Department, PPT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Asst. Executive Engineer (Mechanical)	Class-I	Rs. 20600/- 46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100/- 15100/-)	Selection	30	Essential:- Degree or equivalent in Mechanical/ Engineering from a recognized university/institution. Desirable:- Two years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognized university/institution is essential. (c) No	Upto 21 st Aug. 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 21st Aug. 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Engineer (Mechanical) in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 3 years regular service in the grade. OR From Class-III employees in the scale of pay of Rs. 13600-32400/- in the discipline of Mechanical with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- in that discipline.				

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age qualifications (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Asst. Executive Engineer (Electrical/Electronic & Telecommunication)	10	Class-I	Rs 20600/- 46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 9100/- 15100/-)	Selection	10	Essential:- Degree or equivalent in Electrical/Electronics & Telecommunication Engineering from a recognized university/institution. Desirable:- Two years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognized university/institution is essential. (c) No	2	Up to 21st Aug 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 21st Aug 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Engineer (Electrical/Electronics) in the scale of pay of Rs.16400-40500/- with 3 years regular service in the grade OR From Class-III employees in the scale of pay of Rs.13600-32400/- in the discipline of Electrical/Electronics Engineering with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the scale of pay of Rs.16400-40500/- in that discipline.	
3	Executive Engineer (Mechanical)	06	Class-I	Rs 20600/- 46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 10750-300-16750/-)	Selection	35	Essential:- Degree or equivalent in Mechanical Engineering from a recognized university/institution. (ii) Five years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No. (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognized university/institution is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, both direct recruitment.	Promotion from Assistant Executive Engineer (Mechanical) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing which Assistant Executive Engineer (Mechanical) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) & Rs.16400-40500/- in the discipline Mechanical Engineering of M&E Engg. Deptt. OR Diploma Engineers in the discipline of Mechanical Engineering in the scale of pay of Rs.16400-40500/- with 8 years of regular service in the grade where the pay scale of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay Rs.9100-15100/-) does not exist in that discipline.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment in (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age qualifications (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Executive Engineer (Electrical/Electronics & Communication)	05	Class-I	Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-300-16750/-)	Selection	35	Essential:- (i) Degree or equivalent in Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognized university/institution. (ii) Five years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking. (c) No	(a) No. (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognized university/institution is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Executive Engineer (Electrical/Electronics & Communication) in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing which Assistant Executive Engineer (Electrical/Electronics & Communication) in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) & Rs. 16400-40500/- in the discipline of Electrical/Electronics Engineering of M&E Engg. Deptt. OR Diploma Engineers in the discipline of Electrical/Electronics & Communication Engineering in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 8 years of regular service in the grade where the pay scale of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) does not exist in that discipline.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts in respective discipline or feeder post with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks	
5	Superintending Engineer (Mechanical)	02	Class-I	Rs.24900-50500/- Pre-revised scale of pay of Rs.13000-350-18250/-	Selection	40	Essential:- (i) Degree or equivalent in Mechanical Engineering from a university/institution. (ii) Nine years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognized university/institution is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing which by direct recruitment.	Promotion from Executive Engineer (Mechanical) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade failing which Executive Engineer (Mechanical) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) and Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) in the respective discipline in the M&E. Engrg. Deptt.	13	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts of the feeder post with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
16	Superintending Engineer (Electrical/Electronics & Communication)	02	Class-I	Rs.24900-50500/- Pre-revised scale of pay of Rs.13000-350-18250/-	Selection	40	Essential:- (i) Degree or equivalent in Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognized university/institution. (ii) Nine years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognized university/institution is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing which by direct recruitment.	Promotion from Executive Engineer (Electrical/Electronics & Communication) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade failing which Executive Engineer (Electrical/Electronics & Communication) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) and Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) in the discipline of Electronics & Communication Engineering in the M&E Engg. Deptt.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts of the feeder post with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment in (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation. Grades from which it should be made	Remarks
7	Deputy Chief Mechanical Engineer	01	Class-1	Rs. 32900-58000/- Pre-revised scale of pay of Rs. 16000-4000-20800/-	Selection	42	Essential:- (i) Degree or equivalent in Mechanical Engineering from a university/institution. (ii) Twelve years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade in the respective discipline in a Major Port Trust or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-) and Rs. 24900-50500/- in the respective discipline in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 24900-50500 with 3 years regular service in the grade in the respective discipline in Govt./PSUs/Autonomous bodies etc. will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	12 13	As the post has been newly created for the first time, no composite method of recruitment may be adopted for filling in it as a one time measure. The recruitment to this post is made for the first time by promotion to subject to fulfillment of RR [Ref. 5(a) of the Report of the Anomaly Committee on Cadre-restructuring of Port & Dock Officers - March, 2005]

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
18	Deputy Chief Electrical Engineer	01	Class-I	Rs. 32900-58000/- Pre-revised scale of pay of Rs. 16000-400-20800/-	Selection	42	Essential:- (i) Degree or equivalent in Electrical/Electronics Communication Engineering from a recognized university/institution. (ii) Twelve years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N/A	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Deptt. in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade in the respective discipline in a Major Port Trust or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-) and Rs. 24900-50500/- in the respective discipline in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Deptt. in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade in the respective discipline in Govt./PSUs/Autonomous bodies etc. will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	12 13	As the post has been newly created for the first time, no composite method of recruitment may be adopted for filling in it as a one time measure. The recruitment to this post is made for the first time by promotion subject to fulfillment of RR (Ref. 5(a) of the Report of the Anomaly Committee on restructuring of Port & Dock Officers - March, 2005]

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation. Grades from which it should be made	Remarks
1	Chief Mechanical Engineer (Category - II Ports)	01	Class-I	Rs. 43200-66000/- (pre-revised scale of pay of Rs. 18500-23900/-)	Selection	45	Essential :- (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics & Communication Engineering/Naval Architecture from a recognized university/institution or MOT 1 st class Motor certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) 15 years experience in managerial capacity dealing with Mech/Elect/Marine/Electronics Engg. Works out of which 08 years experience shall be in a workshop undertaking maintenance of cargo handling equipment/electrical installation/ship repairs in any Major Port Trusts/Industrial/Commercial /Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N/A	11 For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36600-62000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding the posts in the scale of pay of Rs. 32900-58500/- with 3 years regular service in the grade in the Mechanical & Electrical Engg. Dept and Marine Deptt. (applicable to categories of marine engineers only) in a Major Port Trust will be eligible. For deputation officers holding analogous post or officers holding post of Dy. Chief Mechanical Engineer and equivalent post in the respective discipline of M&E Engg Deptt. in the scale of pay of Rs. 32900-58000/- and above with 03 years regular service in the grade in a Govt./ PSU/ Autonomous Body etc will be eligible. The selection is by merit for which a bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very good".	12 For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36600-62000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding the posts in the scale of pay of Rs. 32900-58500/- with 3 years regular service in the grade in the Mechanical & Electrical Engg. Deptt and Marine Deptt. (applicable to categories of marine engineers only) in a Major Port Trust will be eligible. For deputation officers holding analogous post or officers holding post of Dy. Chief Mechanical Engineer and equivalent post in the respective discipline of M&E Engg Deptt. in the scale of pay of Rs. 32900-58000/- and above with 03 years regular service in the grade in a Govt./ PSU/ Autonomous Body etc will be eligible. The selection is by merit for which a bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very good".	13

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation Grades from which it should be made	Remarks
10	Asst. Materials Manager Gr I	3	Class-I	Rs. 2,06,000-46,500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9,100-15,100/-)	Selection	30	Essential: Degree or equivalent in Mechanical/Electrical Engineering from a recognized University/Institution. Desirable: (i) Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management from a recognized University/Institution. (ii) 02 years Post qualification experience in Materials Management in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking	a) No b) No However, a diploma in discipline from a recognized university/institution is essential. c) No	02	Until 21 st Aug. 2012 By direct recruitment - 33.1/2% By promotion - 66.2/3% After 21 st Aug. 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/2%	12 Promotion from Asst. Materials Manager Gr II in the scale of pay of Rs. 1,64,000-40,500/- with 03 years regular service in the grade. OR From Class-III employees in the scale of pay of Rs. 1,36,000-32,400/- in the respective discipline of MM service in the grade where there are no Class-II post in the pay scale of Rs. 1,64,000-40,500/- in that discipline	13

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks	
11	Dy. Materials Manager	01	Class-I	Rs.20600-46500/- (Pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-)	Selection	35	Essential: (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical Engineering from a recognized University/Institution. (ii) 05 years experience in the executive cadre in the field of Materials Management/Mechanical Eng./Electrical Eng. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable: (i) PG Degree/Diploma in Materials Management from a recognized university/institution.	a) No b) No However, a diploma in relevant discipline from a recognized university/institution is essential. c) No	02	By promotion failing which by absorption/deputation failing both direct recruitment	Promotion from Asst. Materials Manager Gr-I or equivalent post in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 05 years regular service in the grade failing which Asst. Executive Engineer Mechanical/Electrical in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing both A.M.M. Gr.I or equivalent post/Asst. Executive Engineer (Elect./Mech.) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) & Rs.16400-40500/- in the respective discipline of MM Division/M&E Engg. Dept. or Diploma Engineers in the scale of pay of Rs.16400-40500/- with 03 years regular service in the grade where the pay scale of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) does not exist in that discipline.	13	Absorption/deputation will be of officers holding analogous post of feeder post with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
12	Sr Deputy Materials Manager	01	Class-I	Rs.24900-50500/- (pre-revised scale of pay of Rs.13000-18250/-)	Selection	40	Essential: (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical Engineering from a recognized University/Institution. (ii) 09 years experience in the executive cadre in the field of Materials Management/Mechanical Eng./Electrical Eng. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking Desirable: (i) PG Degree/Diploma in Materials Management from a recognized university/institution	a) No b) No However, a diploma in relevant discipline from a recognized university/institution is essential. c) No	02	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment	Promotion from Dy. Materials Manager in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 04 years regular service in the grade failing which EE (Elect./Mech.) in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 04 years regular service in the grade failing both Dy. MM (EE (Elect./Mech.) with 02 years regular service in the grade and a combined regular service 09 years in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) and Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) in the respective discipline of MM Division/M&E Eng. Dept. will be eligible.	13

Recruitment Rules for Class-I Posts under Traffic Department, PPT

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct or by promotion/absorption/deputation)	In case of absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	Assistant Traffic Manager Gr-I	02	Class-I	Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-25000-15100/-)	Selection	30	Essential :- (i) A degree from a recognized university Desirable :- Two years executive experience in shipping/cargo operations/railway transportation in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	11 Up to 21 st Aug. 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 21 st Aug. 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	12 Promotion from Assistant Traffic Manager Gr-II in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 3 years regular service in the grade. OR From Class-III employees in the scale of pay of Rs. 13600-32400/- in the respective discipline of Traffic Dept. with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs. 16400-40500/- in that discipline.	13
2	Senior Assistant Traffic Manager	02	Class-I	Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-25000-15100/-)	Selection	35	Essential :- (i) A degree from a recognized university. (ii) Five years experience in shipping/cargo operations/railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asst. Traffic Manager Gr-I or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade failing which Asst. Traffic Manager Gr-I or equivalent post in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) & Rs. 16400-40500/- in the respective discipline of Traffic Dept. Absorption/deputation will be of officers holding analogous post up to post of Asst. Traffic Manager Gr-I or equivalent post in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	

199

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (a) whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Deputy Traffic Manager	01	Class-I	Rs 24900/- 50900/- (pre-revised scale of pay Rs 13000-350-18250/-)	Selection	40	Essential i) A degree from a recognized University 69 years experience in the shipping/cargo operation/railway transportation in executive cadre in an industrial/commercial/Govt. Undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion which failing by absorption in/deputation failing both by direct recruitment	Promotion from Sr. Asst. Traffic Manager or equivalent in the scale of pay of Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade failing which Sr. Asst. Traffic Manager or equivalent post in the scale of pay of Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 10750-16750/-) with 2 years regular service in grade and a combined regular service of 9 years in the scale of pay of Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 10750-16750/-) and of pay of Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 9100-15100/-) in the respective discipline of Traffic Department. Absorption/deputation will be of officers holding analogous post or post of Sr. Asst. Traffic Manager or equivalent post in the scale of pay of Rs 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation. Grades from which it should be made	Remarks
14	Sr. Deputy Traffic Manager	01	Class-I	Rs 32900-58000/- (pre-revised scale of pay of Rs. 16000-400-20800/-)	Selection	42	Essential: i) A degree from a recognized University. 12 years experience in the shipping/cargo operation/railway transportation in executive cadre in industrial/commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No.	N.A.	11 By absorption through composite method failing by deputation from other Govt. organization and failing both by direct recruitment.	12 For absorption through composite method, officer holding analogous post or post of Dy. Traffic Manager and equivalent post in the discipline of Traffic Department in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trusts or Dy. Traffic Manager and equivalent post in the respective discipline of Traffic Department with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 20650-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-) and Rs. 24900-50500/- in the respective discipline of Traffic Department in a Major Port Trust will be eligible.	13 As the post has been newly created for the first time, no composite method of recruitment may be adopted for filling in it as a one time measure. The recruitment to this post is made for the first by promotion subject to fulfilment of RR. [Ref. 5 (a) of the Report of the Anomaly Committee on Cadre restructuring of Port & Dock Officers - March, 2005]

For deputation officers holding analogous post or holding post of Dy. Traffic Manager and equivalent post in the respective discipline of Traffic Department in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Traffic Manager	01	Class-I (HOD)	Rs.43200-66000/- (pre-revised scale of pay of Rs.18500-450-23900/-)	Selection	45	<u>Essential:</u> i) A degree from a recognized University. 15 years experience in the shipping/cargo operation/railway transportation in executive cadre in an industrial/commercial/Govt. Undertakings.	(a) No (b) Yes (c) No	NA	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officer holding analogous post or officer holding post in the scale of pay of Rs.36600-62000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding post in the scale of pay of Rs.32900-58000/- with 3 years regular service in the grade in Traffic Department of a Major Port Trust will be eligible. For deputation officers holding analogous post or holding post of Sr. Dy. Traffic Manager and equivalent post in the Traffic Department in the scale of pay of rs.32900-58000/- and above with 3 years regular service in the grade in a Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good"	

Recruitment Rules for Class-I Posts under Medical Department, PPT

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age educational qualifications for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2 Medical Officer	05	Class-I	5 Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-250-15100/-)	6 Not applicable	7 35	8 Essential: (i) MBBS degree from a recognized university or for Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognized university. (ii) One year experience in a Hospital after completion of internship of one year. Desirable: A post graduate medical degree from a recognized university.	9 Not applicable	10 2	11 By direct recruitment	12 Not applicable	13
2	Sr. Medical Officer (General Duty)	05	Class-I	4 Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-300-16750/-)	Selection	40	(i) MBBS degree from a recognized university or for Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognized university. (ii) Five years experience in a Hospital after completion of internship of one year. Desirable: A post graduate medical degree from a recognized university.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment	Promotion from Medical Officer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) with 5 years regular service in the grade. Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with 5 years experience in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection by Examination	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	Dy. Chief Medical Officer (Specialist)	08	Class-I	Rs. 24,900-50,500- (pre-revised scale of pay of Rs. 13,000-35,000-18,250/-)	Selection	42	Essential: (i) MBBS degree from a recognized university (ii) A post-graduate medical degree in the specified specialty from a recognized university (iii) Post qualification experience of 7 years in a reputed Hospital, in the relevant field of specialization.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer (Specialist) in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/- (pre-revised scale of pay Rs. 10,750-16,750/-) with 4 years regular service in the grade failing which Sr. Medical Officer (G.D) with post-graduate qualification in the relevant field and 4 years regular service in the grade.	As para 5 (v) of the Anomaly Committee Report - 2005, where there are more than 05 specialists, there should be at least be one Specialist. Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts each in the disciplines of Medicine, Surgery, Gyn. & Obs., Pediatrics and Orthopaedics. If the number of specialist is less than 5, the specialists may be from any of these disciplines. Post may divide the number of specialists in each discipline accordingly.

195

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Not-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Senior Dy. Chief Medical Officer	02	Class-I	Rs.32900/- 58000/- (pre-revised scale of pay of Rs.16000-400-20800/-)	Selection	45	Essential: (i) MBBS degree from a recognized university (ii) A post-graduate medical degree in the specified speciality from a recognized university. (iii) Post qualification experience of 10 years in a Hospital, in the relevant field of specialization.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officers holding the post of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Department in the scale of pay of Rs.24900-50500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Department with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) and Rs.24900-50500/- in Specialist cadre of Medical Department in a Major Port Trust will be eligible.	As the post has been newly created for the first time, no composite method of recruitment may be adopted for filling in it as a one time measure. The recruitment to this post is made for the first by promotion subject to fulfillment of RR. [Ref. 5 (a) of the Report of the Anomaly Committee on Cadre-structuring of Port & Dock Officers - March, 2005
												For deputation, Officer holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in the scale of pay of Rs.24900-50500/- in Medical Department in a Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The Selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Chief Medical Officer (Category-II Posts)	01	Class-I	Rs.43200-66000/- (pre-revised scale of pay of Rs.18500-450-23900/-)	Selection	50	Essential: (i) MBBS degree from a recognized university (ii) A post-graduate medical degree from a recognized university. (iii) Post qualification experience of 13 years in a Hospital, in the relevant field of specialization.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing by both direct recruitment.	For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs.36000-62000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900-58000/- with 3 years regular service in the grade in the Medical Department in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding posts of Sr Dy Chief Medical Officer and equivalent Specialist posts in the scale of pay of Rs.32900-58000/- and above in Medical Department with 3 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

1728 GZ/11-16

Recruitment Rules for Class-I posts of Civil Engineering Department, PPT

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	Asst. Ex. Engineer (Civil)	14	Class-I	Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-250-15100/-)	Selection	30	Essential: Degree or equivalent in Civil Engg from a recognized University/Institution. Desirable: Two years experience in executive cadre in Planning/Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial Govt. Undertaking.	a) No b) No however a diploma in civil engineering from a recognized University/Institution is essential. c) No	2	Upto 21st Aug. 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 21st Aug. 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	12 Promotion from Asst. Engineer (Civil), and other non-cadre posts of Engg Deptt in the scale of pay of Rs.16400-40500/- with 3 years regular service in the grade OR From Class-III employees in the scale of pay of Rs.13600-32400/- in the respective discipline of Civil Engineering Department with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay of Rs.16400-40500/- in their discipline	13
2	Asst. Ex. Engineer (Town Planning)	01	Class-I	Rs. 20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 9100-250-15100/-)	Selection	30	Essential: a) Degree with a Post Graduate degree/ diploma in Architecture/ Town and Country Planning or Degree in Civil Engineering from a recognized University/Institution or membership of Institution of surveyor (India) Desirable: (i) A degree in Law from a recognized University. (ii) Two years executive experience in Town Planning/ Estate Management/ Valuation in an Industrial/ Commercial/Govt. Undertaking.	a) No b) No however a diploma in respective discipline from a recognized University/Institution is essential. c) No	2	Upto 21st Aug. 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 21st Aug. 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	12 Promotion from Asst. Engineer (Civil)/ Architectural Assistant, and other non-cadre posts of Engg Deptt in the scale of pay of Rs.16400-40500/- within 3 years regular service in the grade. OR From Class-III employees in the scale of pay of Rs.13600-32400/- in the respective discipline of Civil Engineering Department with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay of Rs.16400-40500/- in the discipline	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Ex. Engineer (Civil)	09	Class-I	Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-300-16750/-)	Selection	35	Essential: (i) Degree or equivalent in Civil Engg. From a recognized university/institution. (ii) Five years experience in the executive cadre in the planning/construction/design/maintenance preferably of Port & Marine structures in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	a) No b) No, however a diploma in civil engineering from a recognized university/institution is essential c) No	02	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Asst. Ex. Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs.20600-46500/-pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/- with 5 years regular service in the grade failing which Asst. Executive Engineer (Civil) in the pay scale of Rs.20600-46500/-pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/- with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs.20600-46500/-pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/- and Rs.16400-40500/- in the respective discipline of Civil Engg. Dept.	Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with experience as mentioned above in a Major Port Trust

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Superintending Engineer (Civil)	02	Class-I	Rs.24900-50500/- (pre-revised scale of pay of Rs.13000-18250/-)	Selection	40	Essential: (i) Degree or equivalent in Civil Engg from a recognized University/Institution. (ii) Nine years experience in the executive cadre in the planning/construction/design/maintenance preferable of Port & Marine structures in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	a) No. b) No. However a diploma in civil engineering from a recognized university/institution is essential. c) No.	2	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Ex. Engineer (Civil) in the scales of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade failing which Executive Engineer in the pay scale of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) and Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.9100-15100/-) in the respective discipline of Civil Engg. Deptt.	Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with experience as mentioned above in a Major Port Trust.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment in (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/also promotion/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/also promotion/deputation)	In case of promotion/deputation Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Deputy Chief Engineer (Civil)	01	Class-I	Rs. 32900-58000/- (pre-revised scale of pay of Rs. 16000-40000/-)	Selection	42	Essential: (i) Degree or equivalent in Civil Engg from a recognized university/institution. (ii) Twelve years experience in the executive cadre in the planning/construction/design/maintenance preferably of Port & Marine structures in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	a) No b) Yes c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. Organizations failing both by direct recruitment	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or post of Supdt. Engineer and equivalent posts in respective discipline of Civil Engineering Department in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Supdt. Engineer and equivalent post in the respective discipline of Civil Engineering Department with 2 years regular service in the grade and combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 20000-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-) and Rs. 24900-50500/- in the respective discipline of Civil Engineering Department in a Major Port will be eligible. For deputation, officers holding analogous post or officer holding post of Supdt. Engineer and equivalent post in the respective discipline of civil engineering Department in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade in Govt./PSUs/ Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good"	At the post has been newly created for the first time, no composite method of recruitment may be adopted for filling in it as a one time measure. The recruitment to this post is made for the first time by promotion subject to fulfillment of RR. [Ref. 5 (a) of the Report of the Anomaly Committee on Cadre- restructuring of Port & Dock Officers - March, 2005]

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, Grades from which it should be made	Remarks
6	Chief Engineer	01	Class-I (HOD)	Rs. 43200-60000/- (pre-revised scale of pay of Rs. 18500-45000-23900/-)	Selection	45	Essential: (i) Degree or equivalent in Civil Engg from a recognized university/institution. (ii) Fifteen years experience in the executive cadre in the planning/construction/design/maintenance preferably of Port & Marine structures in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	a) No b) Yes c) No	N.A.	By absorption through composite method failing by deputation both by direct recruitment.	12 For absorption through composite method, officers holding analogous posts or officer holding post in the scale of pay of Rs. 36600-62000/- with 2 years regular service in the grade or officer holding post in the scale of pay of Rs. 32900-58000/- with 3 years regular service in the grade in the Civil Engineering Department in a Major Port Trust will be eligible. For deputation officers holding analogous posts or officers holding post of Dy. Chief Engineer and equivalent posts in Chief Engg Deptt in the scale of pay of Rs. 32900-58500/- and above with 3 years regular service in the grade in Govt. PSUs/ Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	13

Recruitment Rules for Class-I Posts under Vigilance Wing, PPT

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Promotion	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) educational qualifications (b) experience for direct recruits will apply in the case of promotion-absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion-absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	Deputy Chief Vigilance Officer	01	Class-I	Rs 24000-50500/- Pre-revised scale of pay of Rs 13000-33000-18200/-	Selection	NA	NA	NA	02	By deputation from Major Port Trusts	12 Officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs 20000-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 10750-16750/-) with 04 years regular service in the grade falling which officers of a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs 20000-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 10750-16750/-) and Rs 20000-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs 9700-15100/-) in any Major Port Trusts/ Central Government/ Public Sector Undertakings or Autonomous bodies. Preference will be given to the persons having experience in vigilance work.	13 Deputation normally be for a period of 3 years and in any case not to exceed five years.
2	Chief Vigilance Officer	01	Class-I (HOD)	Rs 41200-66000/- Pre-revised scale of pay of Rs 18700-23400/-	Selection	NA	NA	NA		By deputation of Officers of All India/Central Services	Officers who are eligible for appointment at the level of Dy. Secretary/Director in Govt. of India	Deputation will normally be for a period of 3 years and in any case not to exceed 5 years.

Recruitment Rules for Class-I Posts under Marine Department, PPT

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2 Deputy Conservator (category II Posts)	3 01	4 Class-I (HOD)	5 Rs. 43,200-66,000/- (pre-revised scale of pay of Rs. 18,500-45,000-23,900/-)	6 Selection	7 48	8 Essentials: (i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign Going Ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognized by the Ministry of Shipping, Govt. of India. (ii) Must hold pilot license and have experience of 08 years either as Master of Foreign Going Ship or in Piloting or cumulative.	9 a) No b) Yes c) No	10 N.A	11 By absorption through composite method, failing by deputation and failing both by direct recruitment.	12 For absorption by composite method, officers holding analogous posts or holding posts of Harbour Master in the scale of pay of Rs. 36,600-62,000/- with 02 years regular service in the grade in a Major Port Trusts will be eligible. For deputation officers holding analogous posts or holding post of Harbour Master and its equivalent deck side post in the scale of pay of Rs. 36,600-62,000/- and above with 02 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very good"	13

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/abso rption/deputatio n	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/abso rption/deputatio n)	In case of promotion/ absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Harbour Master	01	Class-I	Rs. 3600/- 6200/- (pre-revised scale of pay of Rs. 17500-400-22300/-)	Selection	45	Essential: (i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign Going Ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognized by the Ministry of Shipping, Govt. of India. (ii) Must hold pilot license and have 06 years experience either as Master of Foreign Going Ship or in Piloting or cumulative.	a) No b) Yes c) No	N.A.	By absorption through composite method, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption by composite method, officers holding analogous posts or Pilots in the scale of pay of Rs. 32900-58000/- (pre-revised scale of pay Rs. 14500-18700/- elevated to Rs. 16000-22300/-) and above with 05 years regular service in the grade in a Major Port are eligible.	For deputation officers holding analogous posts or holding Pilot posts and its equivalent deck side post with experience as mentioned above in Govt./PSUs/Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good"

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/also promotion/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/also promotion/deputation)	In case of promotion/also promotion/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Pilot	06	Class-I	Rs.32900-58000/- (pre-revised scale of pay of Rs.14500-350-18700/-)	N.A.	40	Essential: i) Must be holding a certificate of competency as master of foreign going ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognized by the Ministry of Shipping, Govt. of India. ii) One year post qualification experience as Master/Chief Officer of a foreign going ship.	N.A.	2	By direct recruitment.	N.A.	As per recommendation of 5 (b) of Anomaly Committee on Cadre restructuring on the Port & Dock Officers, 2005, there would be automatic elevation of officers working the pay scale of Rs.14500-18700/- to the pay scale of Rs.16000-20800/- (revised to scale of pay of Rs.32900-58000/-). Hence, pay scale of Pilot 6 nos will be elevated to the scale of the pay of Rs.32900-58000/-.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Dy Marine Engineer	2	Class-I	Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-3000-16750)	NA	35	i. MOT II Class Motor certificate issued under Merchant Shipping Act,1958 ii. 2 Yrs experience as Independent Watch Keeping Engineer on board a foreign going ship.	NA	2yrs	By direct recruitment.	NA	
5	Senior Dy Marine Engineer	1	Class-I	Rs.24900-50500/- (pre-revised scale of pay of Rs.13000-3500-18250)	Selection	Not exceeding 40	i. MOT II Class Motor certificate issued under Merchant Shipping Act,1958 ii. 6 Yrs of experience as Independent watch keeping Engineer on board a foreign going ship.	a. No. b. Yes c. No.	2yrs.	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment	Promotion from the post of Dy. Marine Engineer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-) with 4 years regular service in the grade. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Officers with 04 years regular service in post of Dy. Marine Engineer in the scale of pay of Rs.20600-46500/- (pre-revised scale of pay of Rs.10750-16750/-)	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/deputation)	In case of promotion/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Marine Engineer	1	Class-I	Rs 32900/- (pre-revised Rs 14500-350-18700/-)	NA	40 years	i. MOTI Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. ii. 1 year post qualification experience as Chief Engineer/ 2 nd Engineer on board a foreign going ship.	NA	2 years	By direct recruitment	NA	As per recommendation of 5 (b) of Anomaly Committee on Cadre restructuring on the Port & Dock Officers, 2005, there would be automatic elevation of officers working the pay scale of Rs 14500-18700/- to the pay scale of Rs 16000-20800/- (revised to scale of pay of Rs 32900-58000/-). Hence, the present post of Tug Engineer will be elevated to the post of Senior Marine Engineer.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed by direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/deputation)	In case of promotion/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Senior Marine Engineer	01	Class-I	Rs.32900-58000/- (pre-revised scale of pay of Rs.16000-400-20800/-)	Selection	44	1) MOT Class Major Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. 2) 4 years experience as Chief Engineer OR 5 years combined experience as Chief Engineer and Second Engineer on board a foreign going ship.	a) NO b) Yes c) No	2 years	By promotion or by absorption through composite method failing which by promotion/deputation from other Govt. Organization and failing both by direct recruitment.	Promotion from the post of Marine Engineer in the scale of pay of Rs.32900-58000/- with 04 years service in the grade. Absorption through composite method will be of officers holding analogous posts of Officers with 4 years regular service in the post of Marine Engineer in the scale of pay of Rs.32900-58000/- in Major Port Trust. For deputation of officers holding analogous posts or officers holding post of Marine Engineers and its equivalent in Marine Engg. scale in the scale of pay of Rs.32900-58000/- with 4 years regular service in the grade in Govt. PSUs/Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below Very Good.	

[F. No. PR-12012/72005-PE-I]

RAKESH SRIVASTAVA, Jr. Secy.